

O. A. No: 22 of 2021 (EZ)

Mohammad Khalik Ansari

Applicant

Vs.

Ministry of Environment, Forest  
and Climate Change & Ors.

Respondents

## INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Supplementary Affidavit on Behalf of Respondent No.3 Jharkhand State Pollution Control Board	
2.	Annexure - I: True copy of the letter issued by the District Task Force (Mining), Sahebganj vide letter ref no. 1472 dated 31.10.2019.	
3.	Annexure - II: True copy of the rejected consent applications of the 6 Units.	
4.	Annexure - III: True copy of the Minutes of Meetings of District Task Force (Mining), Sahebganj.	
5.	Annexure - IV: True copy of the fact sheet submitted by the Regional Officer, JSPCB Regional Office, Dumka vide Ref. no. 1101 dated 17.08.2021.	

Komal Kant Pathak  
Regional Officer  
JSPCB, Dumka

6.	Annexure - V: True copy of the Annexure - D of the Affidavit of Compliance filed by the Respondent No 2, 4 & 13 vide Affidavit No 4 dated 17/07/2021.	
----	---	--

Filed by:-

*Surendra Kumar*  
Surendra Kumar,  
Advocate,

Jharkhand State Pollution Control Board

*Kamalakant Pathak*  
Regional Offices,  
J.S.P.C. Board, Bhubaneswar



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL KOLKATA

O. A. No: 22 of 2021 (EZ)

Mohammad Khalik Ansari

Applicant

Vs.

Ministry of Environment, Forest  
and Climate Change &Ors.

Respondents

Supplementary Affidavit on behalf of Respondent No. 3  
Jharkhand State Pollution Control Board in compliance  
of order dated 08.03.2022.

I Kamalakant Pathak, son of Jitbahan Pathak  
presently posted as the Regional Officer, Jharkhand  
State Pollution Control Board Regional Office, Tower  
Chowk, Dudhani, Dumka and am duly authorized and  
here by solemnly state and affirm as follows :-

1. That at present, I am working and posted as the  
Regional Officer, Jharkhand State Pollution

Kamalakanth Pathak  
Regional Officer,  
J.S.P.C.B. Board, Dumka

Control Board Regional Office, Tower Chowk, Dudhani, Dumka and as such, I am well acquainted with all the facts and circumstances of this case.

2. That I have gone through the order dated 08.03.2022 passed by the Hon'ble NGT, EZB and has understood the contents therein.

3. That, I have been authorized to swear this affidavit on behalf of the Respondent No-3. Jharkhand State Pollution Control Board (JSPCB) by the competent authority. Further it is stated that I have gone through the relevant files and records.

4. That, it is humbly stated and submitted that in light of the directions issued by the Hon'ble NGT in O. A. No. 22/2021/EZ dated 08.03.2022 in the matter of Mohammad Khalik Ansari Vs Ministry of Environment, Forest and Climate Change & Ors. an inspection was carried out by the Regional Officer, JSPCB Regional Office, Dumka to verify the status on encroachment and illegal operation

Kamlokant Pathaka,  
Regional Officer,  
JSPCB Board, Dumka

of stone crushers along the bank of the Ganga River.

5. That, it is humbly stated and submitted that a District Task Force (Mining) has been constituted by the 'Sankalp' of Mines and Geology Department, Government of Jharkhand vide S.S. 56/13 for all the districts of Jharkhand. A district level officer of the State Pollution Control Board is also a member of the District Task Force (Mining) which is headed by the Deputy Commissioner of the concerned district. The Regional Officer, JSPCB Regional Office Dumka or his representative takes part in the activities of the District Task Force (Mining) as the member in case of the Sahebganj district.

Kamalakant Patra  
Regional Officer  
J.S.P.C.B. Board, Dumka

6. That, it is humbly stated and submitted that in-light of the decision taken by the District Task Force (Mining), Sahebganj vide letter ref no. 1472 dated 31.10.2019; the Regional Officer, JSPCB Regional Office, Dumka has rejected the consent applications of 6 stone crushers and the Units were directed not to operate further.

Photocopy of the letter issued by the District Task Force (Mining), Sahebganj vide letter ref no. 1472 dated 31.10.2019 and the rejected consent applications of the 6 Units are annexed and marked as Annexure- I and Annexure -II respectively.

Kamakhya Pathak -  
Regional Officer  
J.S.P.C. Board, Dumka

7. That, it is humbly stated and submitted that the Regional Officer, JSPCB Regional Office, Dumka was also present during the meetings of the District Task Force (Mining), Sahebganj between 01.01.2020 till 05.06.2021 which clearly defines that JSPCB is not hiding any facts.


Photocopy of the Minutes of Meetings of District Task Force (Mining), Sahebganj are annexed and marked as Annexure- III.



8. That it is humbly stated and submitted that for compliance of the directions issued by the Hon'ble NGT in O.A. No. 22/2021 (EZ), the Regional Officer, JSPCB Regional Office, Dumka was requested to submit the factsheet to the headquarters in light of the directions of the Hon'ble NGT, EZB. The Regional Officer, JSPCB Regional Office, Dumka has submitted the fact sheet to the Board vide Ref. no. 1101 dated 17.08.2021. The fact sheet states that no crushers were found in operation along the banks on the River Ganga.

Kamlokant Pathak,  
Regional Officer,  
J.S.P.C. Board, Dec 2021


Photocopy of the fact sheet submitted by the Regional Officer, JSPCB Regional Office, Dumka vide Ref. no. 1101 dated 17.08.2021 is annexed and marked as Annexure- IV.



9. That, it is humbly stated and submitted that the inspection of the crushing units located in the Sahebganj district is being carried out by the Regional Officer, JSPCB Regional Office, Dumka

along with the District Task Force (Mining), Sahebganj. It is pertinent to mention that the District Task Force (Mining), Sahebganj are regularly conducting raids and making surprise inspections in the areas and those who are found to be doing any illegality, FIR's are being instituted and vehicles are being confiscated as per the Rules. The series of FIR's has been instituted and the Action Taken Report are being taken up in the District Task Force Committee and the action are being monitored by the Committee. In this connection photocopies of FIR's and proceedings has been submitted before the Hon'ble Tribunal as Annexure - D of the Affidavit of Compliance filed by the Respondent No 2, 4 & 13 vide Affidavit No 4 dated 17/07/2021. The Regional Officer, JSPCB Regional Office, Dumka is also a part of the District Task Force (Mining), Sahebganj.

Kamlesh Chandra Patra  
Regional Officer  
J.S.P.C.B. Office, Dumka



Photocopy of the Annexure -  
D of the Affidavit of  
Compliance filed by the  
Respondent No 2, 4 & 13 vide


Affidavit No 4 dated  
17/07/2021 is annexed and  
marked as Annexure - V.

10. That it is humbly stated and submitted that at the time of inspection by the Regional Officer, JSPCB Regional Office, Dumka no crushing Unit was found established on the banks of river Ganga.

11. That, it is humbly stated and submitted that the facts presented before the Hon'ble Tribunal on 17.07.2021 by the Deputy Commissioner, Sahebganj and the facts submitted by the Regional Officer, JSPCB Regional Office Dumka draws the same conclusion. Moreover, the Board never intended to hide any fact nor did it intended to file a false fact sheet before the hon'ble Tribunal.

12. It is further humbly submitted that Sri Yatindra Kumar Das, Member Secretary may be allowed to be exempted from his personal appearance.

Kamlesh Kumar,  
Regional Officer  
J.S.P.C.B. Board, Dumka



13. That the statement made in forgoing paragraphs are true to my knowledge in annexure are true copy of its original.

Kamlakant Pathak

DEPONENT

Regional Officer,  
J.S.P.C. Board, Dumka

VERIFICATION:

Verified at Dumka on this the day of 20<sup>th</sup> April, 2022 that the averments & facts stated herein above are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Kamlakant Pathak

DEPONENT

Regional Officer

J.S.P.C. Board, Dumka

7.C.K.S. Roy Road, Hastings Chamber

Kol-1, Rom no - 206

Signature

Applicable

30/04/2022  
Notary Public  
City Court  
Kolkata  
MD No. 2836 Govt of WB

20/04/2022



जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक 1432/एम0, दिनांक 31/10/19

प्रेषक

जिला खनन पदाधिकारी,  
साहेबगंज।

**ANNEXURE B**

सेवा में

निदेशक, खान,  
खान एवं भूतत्व विभाग,  
खान निदेशालय, झारखण्ड, रांची।

विषय


गंगा नदी के किनारे निर्गत डलीर अनुज्ञप्ति को रद्द करने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 21.10.19 को आहूत जिला टास्क फोर्स (खनन) बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक गंगा नदी के किनारे निर्गत डलीर अनुज्ञप्ति और सहमति पत्र (C/O) को गंगा नदी को प्रदूषण बचाने के लिये रद्द करने करने का निर्णय लिया गया है।

अतः भवदीय से सादर अनुरोध है कि निर्गत डलीर अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कृपा की जाय जिसकी सूची संलग्न है।

विश्वासभाजन

  
जिला खनन पदाधिकारी  
साहेबगंज।

T.C.  
Kamal



SL#	Dealer Name	Dealer Code	Site Address
1	JALBAJANG WALLE STONE WORKS	062054892001	NETAJEE SUBHASH COLONY, SAHIBGANJ
2	MS BIKASH STONE WORKS	0620419731	M/S BIKASH STONE WORKS PROP. SRI ANIL KUMAR YADAV, S/O-RAM KUMAR YADAV AT-SAMDANALA, PO-SAKRIGALI, SAHIBGANJ
3	MS FIZA STONE WORKS	620135532001	PROP-MD RIYAJUL ANSARI AT-CHOTA PANGRO PO-BARAMADAN SAHI PS-BORIO DIST-SAHIBGANJ
4	MS HINDUSTAN STONE WORKS	620135552001	PROP-KALACHAND MANDAL AT-SOTI CHOUKI KHUTHAR PO-BARAMADAN SAHI, DIST-SAHIBGANJ
5	MS HINDUSTAN STONE WORKS	062042022001	AT SOUTI CHOUKIKHUTHARI, PO BARA MADANSAHI DIST SAHIBGANJ
6	MS IZMA STONE WORKS	620136592001	PROP-NAZIA SULTAN, AT-CHOTA PANGRO, PO-BARAMADAN SAHI, PS-BORIO, DIST-SAHIBGANJ
7	MS JHARKHAND MINERALS	620136182001	CHOTA PANGRO, BARA MADANSAHI, SAHIBGANJ
8	MS JHARKHAND MINERALS	062041932001	AT CHOTA PANGRO PO BARA MADAN SAHI, DIST SAHIBGANJ
9	MS KHUSHI STONE WORKS	620137182001	PROP-MD ALAMUDDIN ANSARI AT-CHOTA MADAN SAHI PO-BARAMADAN SAHI PS-BORIO DIST-SAHIBGANJ
10	MS KURDUR STONE WORKS	620135562001	PROP MD IRSHAD ALI AT PO-BARAMADAN SAHI PS-BORIO DIST-SAHIBGANJ
11	MS KURDUR STONE WORKS	062039462001	AT PO BARA MADAN SAHI P/S BORIO DIST SAHIBGANJ
12	MS MINHAJ STONE WORKS	062064062001	AT BARA MADAN SAHI JIRWABARI SAHIBGANJ
13	MS MINHAJ STONE WORKS	620135602001	PROP-MD MAKSHUD ALAM AT-CHOTA PANGRO PO-BARAMADAN SAHI, PS-BORIO, DIST SAHIBGANJ
14	MS PREM CHAND MANDAL	620136982001	SO-SRI MAHESH MANDAL AT-SOTI CHOUKI KHUTHAR PO-BARAMADAN SAHI, PS-BORIO DIST-SAHIBGANJ
15	MS RAMPRIT STONE WORKS	0620419832	M/S RAMPRIT STONE WORKS, PROP-SRI LAXMAN YADAV S/O-RAMPRIT YADAV, AT-SAMDANALA PO-SAKRIGALI SAHIBGANJ
16	MS VISHWNATH STONE WORK	03620419431	M/S VISHWNATH STONE WORK, PROP-SRI ARJUN YADAV S/O LATE VISHWNATH YADAV AT-SAMDANALA PO-SAKRIGALI DIST SAHIBGANJ
17	RISHIKESH KUMAR	620135652001	CHOTA PANCHGARH, JIRWABARI, SAHIBGANJ

T.C.  
Kamat

SL NO.	Dealer Name	Dealer Code	Site Address
1	JAI BAJRANGBALI STONE WORKS	62054892001	NETAJEE SUBHASH COLONY, SAHIBGANJ
2	MS BIKASH STONE WORKS	620419731	M/S BIKASH STONE WORKS PROP SRI ANIL KUMAR YADAV, S/O RAM KUMAR YADAV, AT.- SAMDANALA, PO.-SAKRIGALI, SAHIBGANJ
3	MS FIZA STONE WORKS	620135532001	PROP- MD RIYAJUL ANSARI, AT.- CHOTA PANGRO, PO.- BARAMADAN SAHI, PS.- BORIO, DISTT.- SAHIBGANJ
4	MS HINDUSTAN STONE WORKS	620135552001	PROP- KALACHAND MANDAL, AT.- SOTI CHOUKI KHUTHAR, PO.- BARAMADAN SAHI, DISTT.- SAHIBGANJ
5	MS HINDUSTAN STONE WORKS	062042022001	AT SOUTI CHOUKIKHUTHARI, PO.- BARA MADANSAHI, DIST. SAHIBGANJ
6	MS IZMA STONE WORKS	620136592001	PROP.- NAZIA SULTAN, AT.- CHOTA PANGRO, PO.- BARAMADAN SAHI, PS.- BORIO, DIST.- SAHIBGANJ
7	MS JHARKHAND MINERALS	620136182001	CHOTA PANGRO, BARA MADANSAHI, SAHIBGANJ
8	MS JHARKHAND MINERALS	062041932001	AT CHOTA PANGRO, PO.- BARA MADAN SAHI, DIST.- SAHIBGANJ
9	MS KHUSHI STONE WORKS	620137162001	PROP.- MD ALAMUDDIN ANSARI, AT.- CHOTA MADAN SAHI, PO.- BARAMDAN SAHI, P.S. BORIO, DIST.- SAHIBGANJ
10	MS KOHINOOR STONE WORKS	620135562001	PROP.- MD IRSHAD ALI, AT.- PO.- BARAMADAN SAHI, PS.- BORIO, DIST.- SAHI
11	MS KOHITUR STONE WORK	062039462001	AT PO.- BARA MADAN SAHI PS BORIO DIST.- SAHIBGANJ
12	MS MINHAJ STONE WORKS	062064062001	AT BARA MADAN SAHI JIRWABARI, SAHIBGANJ
13	MS MINHAJ STONE WORKS	620136602001	PROP.- MD. MAKSHUD ALAM, AT.- CHOTA PANGRO, PO.- BARAMADAN SAHI, PS.- BORIO, DIST.- SAHIBGANJ
14	MS PREM CHAND MANDAL	620136982001	SO- SRI MAHESH MANDAL, AT.- SOTICHOUKI KHUTHAR, PO.- BARAMADAN SAHI, PS.- BORIO, DIST.- SAHIBGANJ
15	MS RAMPRIT STONE WORKS	0620419832	M/S RAMPRIT STONE WORKS, PROP.- SRI LAXMAN YADAV, S/O RAMPRIT YADAV, AT.- SAMDANALA, PO.- SAKRIGALI, SAHIBGANJ
16	MS VISHWANATH STONE WORKS	03620419431	M/S VISHWANATH STONE WORK, PROP.- SRI ARJUN YADAV, S/O LATE VISHWANATH YADAV, AT.- SAMDANALA, PO.- SAKRGALI, DIST.- SAHIBGANJ
17	RISHIKESH KUMAR	620135652001	CHOTA PANCHGARH, JIRWABARI, SAHIBGANJ



## JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI 834004  
Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

Ref No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6423385/2019/2

Dated : 2019-11-20

From,

Ravindra Prasad  
Regional Officer

To,

MD ALAMUDDIN ANSARI  
M/S KHUSHI STONE WORKS  
AT - CHHOTA TOUFIR  
SAHEBGANJ

**Sub :** Rejection of your application for Consent-to-Operate (C.T.O.) under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981-regarding.

Sir,

Whereas, you have applied for grant of CTO under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 vide your application no. 6423385 dated 14/09/2019.

1. Consent application rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.
2. CTE/CTO rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.

The competent authority has, therefore, been pleased to reject your application No. 6423385 dated 14/09/2019 and undersigned directs you not to operate the unit further.

RAVINDRA  
PRASAD

Yours faithfully,

Ravindra Prasad  
Regional Officer

Memo No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6423385/2019/2

Dated : 2019-11-20

**Copy To :-** MD ALAMUDDIN ANSARI of M/S KHUSHI STONE WORKS, AT - CHHOTA TOUFIR, Po.- Borna, Distt.- Sahibganj/ Director of Industry, Government of Jharkhand, Ranchi/ Director of Mines, Government of Jharkhand, Ranchi /Deputy Commissioner, Sahibganj / Chief Inspector of Factories, Government of Jharkhand, Ranchi / D.F.O., Sahibganj/D.M.O., Sahibganj /Member Secretary, JSPCB,Ranchi for information & necessary action.

RAVINDRA  
PRASAD

Ravindra Prasad  
Regional Officer

T.C.  
Komal



531

**JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD**

TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI 834004

Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

Ref No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6421365/2019/7

Dated : 2019-11-20

**From,**Ravindra Prasad  
Regional Officer**To,**RIYAZUL ANSARI  
M/S FIZA STONE WORKS  
AT -- CHHOTA TOUFIR  
SAHEBGANJ**Sub :** Rejection of your application for Consent-to-Operate (C.T.O.) under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981- regarding.**Sir,**

Whereas, you have applied for grant of CTO under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 vide your application no. 6421365 dated 14/09/2019.

1. Consent application rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.
2. CTE/CTO rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.

The competent authority has, therefore, been pleased to reject your application No. 6421365 dated 14/09/2019 and undersigned directs you not to operate the unit further.

Yours faithfully,

RAVINDRA  
PRASADRavindra Prasad  
Regional Officer

Memo No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6421365/2019/7

Dated : 2019-11-20

**Copy To :-**MR. RIYAZUL ANSARI of M/S FIZA STONE WORKS, At Chhota Toufir, Borna Distt.-Sahibganj/  
Director of Industry, Government of Jharkhand, Ranchi/ Director of Mines, Government of Jharkhand, Ranchi  
/Deputy Commissioner, Sahibganj / Chief Inspector of Factories, Government of  
Jharkhand, Ranchi / D.F.O , Sahibganj/ D.M.O., Sahibganj / Member Secretary, JSPCB, Ranchi for information &  
necessary action.

RAVINDRA  
PRASADRavindra Prasad  
Regional OfficerT.C.  
Kumar



532

**JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD**

TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI 834004  
Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

Ref No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6421622/2019/6

Dated : 2019-11-20

From,

Ravindra Prasad  
Regional Officer

To,

MD MAKSUD ALAM  
M/S MINHAZ STONE WORKS  
AT - BADA MADAN SAHI  
SAHEBGANJ

Sub : **Rejection of your application for Consent-to-Operate (C.T.O.) under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981- regarding.**

Sir,

Whereas, you have applied for grant of CTO under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 vide your application no. 6421622 dated 14/09/2019.

1. Consent application rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj letter no.- 1472 dated 31.10.2019.
2. CTE/CTO rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj letter no.- 1472 dated 31.10.2019.

The competent authority has, therefore, been pleased to reject your application No. 6421622 dated 14/09/2019 and undersigned directs you not to operate the unit further.

Yours faithfully,

RAVINDRA PRASAD  
Ravindra Prasad  
Regional Officer

Memo No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6421622/2019/6

Dated : 2019-11-20

Copy To :-MD MAKSUD ALAM of M/S MINHAZ STONE WORKS, At. BADA MADAN SAHI, po.-Borna, Distt.- Sahibganj/ Director of Industry, Government of Jharkhand, Ranchi/ Director of Mines, Government of Jharkhand, Ranchi /Deputy Commissioner, Sahibganj / Chief Inspector of Factories, Government of Jharkhand, Ranchi / D.F.O., Sahibganj/ D.M.O., Sahibganj / Member Secretary, JSPCB, Ranchi for information & necessary action.

RAVINDRA  
PRASAD  
Ravindra Prasad  
Regional Officer

T.C.  
Kansab

533



**JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD**

TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI 834004  
Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

Ref No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6423918/2019/5

Dated : 2019-11-20

**From,**

Ravindra Prasad  
Regional Officer

**To,**

RISHIKESH KUMAR  
M/S RISHIKESH AUTO MOBILES  
AT - CHHOTA TOUFIR  
SAHEBGANJ

**Sub :** Rejection of your application for Consent-to-Operate (C.T.O.) under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981-regarding.

**Sir,**

Whereas, you have applied for grant of CTO under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 vide your application no. 6423918 dated 14/09/2019.

1. Consent application rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.
2. CTE/CTO rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.

The competent authority has, therefore, been pleased to reject your application No. 6423918 dated 14/09/2019 and undersigned directs you not to operate the unit further.

Yours faithfully,  
**RAVINDRA PRASAD**  
 Ravindra Prasad  
 Regional Officer

Memo No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6423918/2019/5

Dated : 2019-11-20

**Copy To :-** Sri Rishikesh Kumar of M/S Rishikesh Auto Mobiles, AT - Chhota Toufir, Po.- Borio, Distt.- Sahibganj/ Director of Industry, Government of Jharkhand, Ranchi/ Director of Mines, Government of Jharkhand, Ranchi /Deputy Commissioner, Sahibganj / Chief Inspector of Factories, Government of Jharkhand, Ranchi / D.F.O., Sahibganj/ D.M.O., Sahibganj / Member Secretary, JSPCB, Ranchi for information & necessary action.

**RAVINDRA PRASAD**  
 Ravindra Prasad  
 Regional Officer

T.C.  
Kavirat



534

**JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD**

TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI 834004  
Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

Ref No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6421622/2019/6

Dated : 2019-11-20

From,

Ravindra Prasad  
Regional Officer

To,

MD MAKSUD ALAM  
M/S MINHAZ STONE WORKS  
AT - BADA MADAN SAHI  
SAHEBGANJ

Sub : **Rejection of your application for Consent-to-Operate (C.T.O.) under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981- regarding.**

Sir,

Whereas, you have applied for grant of CTO under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 vide your application no. 6421622 dated 14/09/2019.

1. Consent application rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.
2. CTE/CTO rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.

The competent authority has, therefore, been pleased to reject your application No. 6421622 dated 14/09/2019 and undersigned directs you not to operate the unit further.

Yours faithfully,

RAVINDRA PRASAD  
Ravindra Prasad  
Regional Officer

Memo No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6421622/2019/6

Dated : 2019-11-20

Copy To :-MD MAKSUD ALAM of M/S MINHAZ STONE WORKS, At. BADA MADAN SAHI, po.-Borna, Distt.- Sahibganj/ Director of Industry, Government of Jharkhand, Ranchi/ Director of Mines, Government of Jharkhand, Ranchi /Deputy Commissioner, Sahibganj / Chief Inspector of Factories, Government of Jharkhand, Ranchi / D.F.O., Sahibganj/ D.M.O., Sahibganj / Member Secretary, JSPCB, Ranchi for information & necessary action.

ST.  
10/11/19

RAVINDRA PRASAD  
Ravindra Prasad  
Regional Officer



535

**JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD**

TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI 834004  
Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

Ref No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6422740/2019/4

Dated : 2019-11-20

**From,**

Ravindra Prasad  
Regional Officer

**To,**

PREM CHAND MANDAL  
M/S PREM CHAND MANDAL  
AT - CHHOTA TOUFFIR  
SAHEBGANJ

**Sub :** Rejection of your application for Consent-to-Operate (C.T.O.) under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981- regarding.

**Sir,**

Whereas, you have applied for grant of CTO under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 vide your application no. 6422740 dated 14/09/2019.

1. Consent application rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.
2. CTE/CTO rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.

The competent authority has, therefore, been pleased to reject your application No. 6422740 dated 14/09/2019 and undersigned directs you not to operate the unit further.

Yours faithfully,  
RAVINDRA  
PRASAD  
Ravindra Prasad  
Regional Officer

Memo No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6422740/2019/4

Dated : 2019-11-20

**Copy To :-** Sri PREM CHAND MANDAL of M/S PREM CHAND MANDAL, AT - CHHOTA TOUFFIR, Po.- Bada Madanshahi, Distt.- Sahibganj/ Director of Industry, Government of Jharkhand, Ranchi/ Director of Mines, Government of Jharkhand, Ranchi /Deputy Commissioner, Sahibganj / Chief Inspector of Factories, Government of Jharkhand, Ranchi / D.F.O., Sahibganj/ D.M.O., Sahibganj / Member Secretary, JSPCB, Ranchi for information & necessary action.

RAVINDRA  
PRASAD  
Ravindra Prasad  
Regional Officer

T.C.  
Kamal



536  
**JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD**

TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI 834004  
Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

Ref No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6419766/2019/3

Dated : 2019-11-20

From,

Ravindra Prasad  
Regional Officer

To,

NAZIA SULTAN  
M/S IZMA STONE WORKS  
AT - CHHOTA TOUFIR  
SAHEBGANJ

Sub : **Rejection of your application for Consent-to-Operate (C.T.O.) under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981-regarding.**

Sir,

Whereas, you have applied for grant of CTO under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 vide your application no. 6419766 dated 14/09/2019.

1. Consent application rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.
2. CTE/CTO rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.

The competent authority has, therefore, been pleased to reject your application No. 6419766 dated 14/09/2019 and undersigned directs you not to operate the unit further.

Yours faithfully  
**RAVINDRA PRASAD**  
Ravindra Prasad  
Regional Officer


Memo No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6419766/2019/3

Dated : 2019-11-20

**Copy To :-**Smt. NAZIA SULTAN of M/S IZMA STONE WORKS, AT - CHHOTA TOUFIR, Ps.- Borio, Distt.- Sahibganj/ Director of Industry, Government of Jharkhand, Ranchi/ Director of Mines, Government of Jharkhand, Ranchi /Deputy Commissioner, Sahibganj / Chief Inspector of Factories, Government of Jharkhand, Ranchi / D.F.O., Sahibganj/ D.M.O., Sahibganj / Member Secretary, JSPCB, Ranchi for information & action.

**RAVINDRA PRASAD**  
Ravindra Prasad  
Regional Officer

रि.स.क.  
कर्म



जिला टॉस्क फोर्स (खनन) साहेबगंज की बैठक दिनांक 04.02.2020 को उपायुक्त -सह- अध्यक्ष जिला टॉस्क फोर्स (खनन) की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार

- 1 पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज।
- 2 अपर समाहर्ता, राजस्व, साहेबगंज।
- 3 वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 4 अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 5 क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका।
- 6 जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 7 जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।

1. उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही एवं उसके अनुपालन की समीक्षा की गयी।
2. N.II/S.II सड़क/रेल किनारे 100 मीटर दूरी पर अवस्थित क्रशर को जाँच कर हटाने संबंधी निर्देश दिया गया।

(अनुपालन, अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका)

3. गंगा के किनारे पत्थर/डम्प या प्रेषण न हो इसकी निगरानी बनाये रखने के साथ ही एल0सी0टी0 के प्रबंधक को पत्र देकर बिना परिवहन चालान के खनिजों का पारगमण न हो इसके साथ सप्ताह में कम से कम दो बार इसकी जाँच कर निगरानी के साथ आवश्यक कार्यवाई करने हेतु निर्देश दिया गया

(अनुपालन, अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी)

4. साहेबगंज जिलान्तर्गत सभी रेलवे साईडिंग की नियमित जाँच कर आवश्यक कार्यवाई करेंगे।

(अनुपालन, अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी)

6. साहेबगंज जिलान्तर्गत जितने भी खदान/क्रशर मशीन संचालित हैं वे अपने खदान/क्रशर मशीन पर नियमित रूप से जल का छिड़काव एवं खनिजों का प्रेषण तिरपाल ढककर करेंगे।

(अनुपालन, अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी)

T.C.  
Kamal

7. साहेबगंज जिलान्तर्गत संचालित खदान/क्रशर मशीनों में कार्यरत मजदूरों को नियमित रूप से कोटालपोखर, सकरीगली, मिर्जाचौकी, महादेवगंज में स्वाथ्य शिविर लगाकर मजदूरों की जाँच कर विमारी पाये जाने पर उनको दवाइयों को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन, सिविल सर्जन, साहेबगंज, जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज)

8. साहेबगंज जिलान्तर्गत संचालित खदान में सीमांकन कर सीमास्तम्भ लगाना/क्रशर मशीनों में चहारदिवारी करवाना सुनिश्चित करायेगे।

9. साहेबगंज जिलान्तर्गत संचालित खदान/क्रशर पर कार्यरत मजदूरों के लिये श्रम विभाग द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं के अन्तर्गत निबंधन भी किया जाय, जिससे उनके भविष्य सुरक्षित हो सके।

(अनुपालन, श्रम अधीक्षक/जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज)

10. जिले में चल रह अवैध खनन को रोकने के लिये जिला टास्क फोर्स (खनन) तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी, संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे।

(अनुपालन सभी सदस्य जिला टास्क फोर्स(खनन) एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ टास्क फोर्स की आहूत बैठक समाप्त की गयी।

  
उपायुक्त,  
साहेबगंज।

ज्ञापाक 148 / एम0, दिनांक 12/2/20

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज/अपर समाहर्ता/वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज /क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्षद, के पदाधिकारी, दुमका/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उपायुक्त,  
साहेबगंज।

T. C.

Kamal

जिला टास्क फोर्स (खनन) साहेबगंज की बैठक दिनांक 07.10.2020 को उपायुक्त -सह- अध्यक्ष जिला टास्क फोर्स (खनन) की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक की कार्यवाही।

व्यवस्थापित पंजी के अनुसार

- 1 वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 2 अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 4 पुलिस उपाधीक्षक, साहेबगंज।
- 5 क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्सद, दुमका।
- 6 जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 7 जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।

1. उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही एवं उसके अनुपालन की समीक्षा की गयी।
2. वैसे क्रशर संचालक जो नियमों, शर्तों एवं प्रावधानों का उल्लंघन करते पाये जाते है तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कारवाई किया जाय।

(सभी सदस्य जिला खनन टास्क फोर्स)

2. N.H/S.H सड़क/रेल किनारे 100 मीटर दूरी पर अवस्थित क्रशर को जाँच कर हटवाते हुए उनके क्रशर का प्रदूषण सहमति पत्र एवं अनुज्ञप्ति को रद्द करने का निर्देश दिया गया।

(क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद, दुमका एवं जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज)

3. अवैध खनन कर्त्ताओं को चिन्हित कर नियमित छापेमारी करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

(सभी सदस्य जिला खनन टास्क फोर्स)

4. गंगा के किनारे पत्थर/डम्प या प्रेषण न हो इसके लिये विशेष अभियान चालाकर पत्थर डम्प करने वाले नाव, वाहन जो अवैध ढुलाई में संलग्न हो उनलागो को गिरफ्तार करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निर्देश दिया गया। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को बताया गया कि गंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण का कार्य कराये।

(सभी सदस्य जिला खनन टास्क फोर्स)

- 5 पत्थर ढुलाई में लगे वाहनों का लगतार अभियान चालाकर वाहनों का पंजीकरण, इन्सोरेंस आदि का जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाय।

(जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज)

T. C. Kaur

- 6 G.M Land पर धारित खनन पट्टा की सूची उपलब्ध कराने के संदर्भ में बताया गया।
- 7 अवैध स्थल पर जाने का रास्ता को अवरुद्ध करने हेतु विचार किया गया।
- 8 साहेबगंज जिलान्तर्गत जितने भी खदान/क्रशर मशीन संचालित है वे अपने खदान/क्रशर मशीन पर नियमित रूप से जल का छिड़काव एवं खनिजों का प्रेषण तिरपाल ढककर करेंगे।

(अनुपालन, अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी)

साहेबगंज जिलान्तर्गत संचालित खदान/क्रशर मशीनों में कार्यरत मजदूरों को नियमित रूप से कोटालपोखर, सकरीगली, मिर्जाचौकी, महादेवगंज में स्वास्थ्य शिविर लगाकर मजदूरों की जाँच कर बिमारी पाये जाने पर उनको दवाईयों को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन, सिविल सर्जन, साहेबगंज, जिला खनन

धन्यवाद ज्ञापन के साथ टास्क फोर्स की आहूत बैठक समाप्त की गयी।

*हं/*  
उपायुक्त,  
साहेबगंज।

गपांक...1159.../एम0, दिनांक...12/10/2020

तिलिपि : पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज/अपर समाहर्ता/वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज /क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्वद, के पदाधिकारी, दुमका/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*उपायुक्त*  
उपायुक्त,  
साहेबगंज।

T.C.  
Kamal

जिला टॉस्क फोर्स (खनन) साहेबगंज की बैठक दिनांक 18.11.2020 को उपायुक्त -सह- अध्यक्ष जिला टॉस्क फोर्स (खनन) की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार

- 1 पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज।
- 2 अपर समाहर्ता, साहेबगंज।
- 3 अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 4 अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।
- 5 क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, दुमका।
- 6 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 7 जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 8 विद्युत का० अभि० साहेबगंज।

1. उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही एवं उसके अनुपालन की समीक्षा की गयी।

2. वैसे खनन पट्टेधारी एवं क्रशर संचालक जो नियमों, शर्तों एवं प्रावधानों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध EC/CTO को रद्द करने हेतु संबंधित विभाग से पत्राचार किया जाय।

(जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज)

3. सभी क्रशर संचालक क्रशर स्थल से मुख्य मार्ग तक पहुँचने हेतु निजी रोड का व्यवहार करने, नियमित रूप से पानी का छिड़काव करना तथा पहुँच पथ का उपयोग नहीं करने हेतु निर्देशित किया जाय।

(सभी सदस्य जिला टास्क फोर्स (खनन) )

4. N.H/S.H सड़क/रेल किनारे 100 मीटर दूरी पर अवस्थित क्रशर को जाँच कर हटवाते हुए उनके क्रशर का प्रदूषण सहमति पत्र एवं अनुज्ञप्ति को रद्द करने का निर्देश दिया गया।

(क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, दुमका एवं जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज)

5. रेलवे साईडिंग का नियमित रूप से जाँच कर अवैधकत्ताओं के विरुद्ध कारवाई एवं बिना परिवहन चालान के रोक द्वारा परिवहन करने पर रेलवे विभाग को इण्डेन्ट स्वीकार नहीं करने हेतु पत्राचार करना।

(जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।)

T. C.  
Karnal

6. गंगा के किनारे पत्थर/डम्प या प्रेषण न हो ~~इसके लिए~~ विशेष अभियान चलाकर पत्थर डम्प करने वाले नाव, वाहन जो अवैध ढुलाई में शामिल हैं उनलागों को गिरफ्तार करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निर्देश दिया गया। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज से नाव प्राप्त कर गंगा नदी में नियमित छापेमारी करना सुनिश्चित करेंगे। जप्त नाव को उपायुक्त के न्याया में Confiscation (राज्यसात) करने हेतु अनुरोध किया जाये।

(सभी सदस्य जिला टास्क फोर्स (खनन) )


- 7 क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका द्वारा साहेबगंज जिलान्तर्गत किये गये निरीक्षण की सूची प्राप्त करना।

(क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका एवं जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज)

- 8 जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा नियमित रूप से ट्रको की जाँच करना। जिस पर जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा बताया गया कि ट्रको की जाँच का 33.00 लाख रुपये की वसूली की गयी है।

(जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज।)

घन्यवाद ज्ञापन के साथ टास्क फोर्स की आहूत बैठक समाप्त की गयी।

  
उपायुक्त,  
साहेबगंज।

ज्ञापांक 12.6.7...../एम0, दिनांक 24/11/2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज/अपर समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल/क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्षद, के पदाधिकारी, दुमका/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

T.C.  
Kamal

  
उपायुक्त,  
साहेबगंज।

जिला टॉस्क फोर्स (खनन) साहेबगंज की बैठक दिनांक 10.02.2021 को उपायुक्त -सह- अध्यक्ष  
जिला टॉस्क फोर्स (खनन) की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार

- 1 पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज
- 2 वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज
- 3 अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 4 अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।
- 5 जिला परियहन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 6 क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, दुमका।
- 7 जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।

उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही एवं उसके अनुपालन की समीक्षा की गयी।

- 1 सदस्य सचिव, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, झारखंड रांची को प्रेषित पत्र के आलोक में क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, दुमका द्वार बताया गया कि मुख्यालय से सभी को अंतिम सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।
- 2 रिहाईसी इलाकों, गाँव, सड़क के आस-पास संचालित क्रशरो को 15 दिनों का नोटिस निर्गत कर उन्हें हटाने का निर्देश दिया गया। समयावधि में क्रशर मशीन रिहाईसी इलाकों, गाँव, सड़क से अन्यत्र जगहों पर शिफ्ट कर लिया जाता है तो सही अन्यथा जैसे सभी ईकाई को बंद करा दिया जाय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, दुमका को पत्र निर्गत करते हुए सभी संचालित क्रशरों को निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र (CTE) एवं सहमति पत्र (CTO) रद्द कर दी जाय।  
(क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, दुमका एवं जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज)
- 3 क्रशर ईकाई संचालित करने के पूर्व भूमि से संबंधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने से पहले संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित अंचल अधिकारी को पंचायत द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही भूमि से संबंधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की कार्यवाही की जाय।  
(अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज / राजमहल एवं सभी अंचल अधिकारी)
- 4 पहाड़ी क्षेत्र पहाड़ पर अवस्थित क्रशर के संचालन से धूलकन उड़कर खेतों में आ जाने से कृषि योग्य भूमि बर्बाद हो रही है। जिसके देखते हुए निर्देशित किया गया कि पहाड़ पर संचालित सभी क्रशर का तत्काल बंद कराते हुए उन्हें अन्यत्र जगह शिफ्ट करने हेतु नोटिस निर्गत किया जाय।  
(जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज)
- 5 डीलर अनुज्ञापति क्षेत्र में तैयार स्टोन डस्ट की व्यवहार हेतु वैज्ञानिक ढंग से खोज की जाय।  
(सभी सदस्य जिला टास्क फोर्स (खनन) )

5. सभी खनन पट्टेधारी/अनुज्ञप्तिधारी को सूचित किया जाय कि प्राकृतिक झरनों के बचाव हेतु अपने खनन क्षेत्र एवं अनुज्ञप्ति क्षेत्र में हुम पाईप लगाकर जल संचयन की व्यवस्था की जाय, न कि प्राकृतिक झरनों को नष्ट कर। इससे झरनों की सौंदर्यता बरकरार रहेंगी तथा धुलकन के साथ पानी का बहाव खेत में न जाने से कृषि योग्य भूमि बनी रहेगी।  
(सभी सदस्य जिला टास्क फोर्स (खनन) )

6. बिहार राज्य के अनुरोध पर गंगा कटाव की रोकथाम हेतु बोल्टर आपूर्ति हेतु नावों से पत्थर लोड हेतु नदी के किनारे से 100 की दुरी पर डम्प करते हुए CCTV के निगरानी में वैध चालान के साथ पत्थर प्रेषण की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही अन्य जगह से पत्थर प्रेषण कार्य की सूचना मिलते ही रोक लगा दी जाय।  
(अपर समाहर्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज एवं राजमहल)

7. बरहरवा अंचल अन्तर्गत कोटालपोखर में अवैध खनन एवं अवैध रूप से संचालित क्रशरों की जाँच नियमित रूप की जायेगी एवं प्रत्येक सप्ताह जांच प्रतिवदेन जिला खनन पदाधिकारी, को उपलब्ध करा दिया जाय।  
(सभी सदस्य जिला टास्क फोर्स (खनन) )

8. साहेबगंज जिलान्तर्गत संचालित सभी ईट भट्टों एवं चिमनियों की जाँच नियमित रूप की जाये एवं बाल मजदूर काम न करें यह भी सुनिश्चित कराये।  
(अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज एवं राजमहल)

9. राजमहल घाट में सरकारी 2 जहाज को आम जनता के आवगमन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा पत्राचार कर बंगाल राज्य के मालदा जिला के जिला कलेक्टर से अनुमति प्राप्त कर 2 जहाज प्राप्त कर संचालन की व्यवस्था करायेंगे। पत्र की प्रतिलिपि उपायुक्त साहेबगंज/पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज, उपायुक्त मालदा(प0बं0) पुलिस अधीक्षक, मालदा(प0बं0) को उपलब्ध करायेंगे।  
(अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल)

10. खनिज से लदे वाहनों की जाँच नियमित रूप से करना तथा पत्थर प्रेषण कर्ता एवं वाहन मालिको द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि खनिज प्रेषण के पूर्व खनिजों को तिरपाल से ढककर प्रेषण किया जाय। इसकी भी जाँच नियमित रूप से की जाय।  
(सभी सदस्य जिला टास्क फोर्स (खनन) )

धन्यवाद ज्ञापन के साथ टास्क फोर्स की आहूत बैठक समाप्त की गयी।

उपायुक्त,  
साहेबगंज।

ज्ञापांक 162 / एम0, दिनांक 11-2-2021

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज/अपर समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल/क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्वद, के पदाधिकारी, दुमका/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

T. C. K. K. K.

उपायुक्त,  
साहेबगंज।

जिला टॉस्क फोर्स (खनन) साहेबगंज की बैठक दिनांक 09.03.2021 को उपायुक्त -सह- अध्यक्ष की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार

- 1 पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज
- 2 वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज
- 3 अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 4 अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।
- 5 जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 6 जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 7 क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका।
- 8 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल/बरहरवा।

उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही एवं उसके अनुपालन की समीक्षा की गयी। तत्पश्चात् निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई :-

- 1 मानवाधिकार न्यायालय, झारखंड रांची में दायर वाद संख्या 73/21 में पारित आदेश के अनुपालन में अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बरहरवा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका, अंचल अधिकारी पतना, वन पदाधिकारी, पतना अंचल एवं चिकित्सा पदाधिकारी, बरहरवा द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जाँच कर सात दिनों के अंदर उपायुक्त साहेबगंज को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।  
अनुपालन- अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बरहरवा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका, अंचल अधिकारी पतना, वन पदाधिकारी, पतना अंचल एवं चिकित्सा पदाधिकारी, बरहरवा
- 2 क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में निर्देशित किया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा नियमित रूप से ईट भट्ठो का निरीक्षण कर अवैध पाये जाने पर विधिसम्मत कार्यवाई की जाये।  
अनुपालन- अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।  
क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका,
- 3 उपायुक्त साहेबगंज के पत्रांक 245/गो0, साहेबगंज दिनांक 13.02.21 को निर्गत पत्र के सदर्थ में पूछा गया जिसमें अनुमंडल पदाधिकारियों ने बताया कि विस्फोटक अनुज्ञापिधारियों की जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है। जिसे अविलम्ब पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।  
अनुपालन- अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल  
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी साहेबगंज/राजमहल/बरहरवा
- 4 जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल को निर्देशित किया गया कि साहेबगंज जिलान्तर्गत ओभरलोडेड ट्रक/ट्रक्टरों की जांच नियमित रूप से करना तथा ओभरलोड पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाई करेंगे।  
अनुपालन- जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज।  
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी साहेबगंज/राजमहल/बरहरवा

(Signature)

T. K. K. K.

- 5 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल/बरहरवा को निर्देशित किया गया कि साहेबगंज जिलान्तर्गत अवैध खनन पर जितने भी प्राथमिकी दायर किये गये हैं उन सभी में अवैध कर्ता को गिरफ्तार कर उपायुक्त महोदय को अवगत कराये।

अनुपालन-अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल/बरहरवा

- 6 बैठक में यह भी पूछा गया कि प्राथमिकी/जप्त नावों पर क्या कार्रवाई अभी तक हुई है से अवगत कराये एवं उन सबों पर राज्यसात करने हेतु निर्णय लिया गया।

अनुपालन- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी साहेबगंज/राजमहल/बरहरवा

- 7 कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, साहेबगंज को निर्देशित किया गया कि जितने भी विद्युत से संचालित क्रशर युनिट है उन सभी जांच कर वांछित कागजात यथा डीलर अनुज्ञप्ति, CTO, की जांच करते हुए नहीं पाये जाने पर विद्युत विच्छेद कर दिया जाय।

( कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, साहेबगंज )

8. अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज को निर्देशित किया गया कि मिर्जाचौकी अवस्थित चेकपोस्ट की नियमित रूप से जाँच करेंगे।

अनुपालन- अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज

एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज।

9. अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज एवं जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज को निर्देशित किया गया कि गंगा नदी से अनुमति दी गयी नावों में पत्थर प्रेषण में परिवहन चालान/ओभरलोड की जांच की नियमित रूप से करेंगे।

अनुपालन- अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज

जिला परिवहन पदाधिकारी साहेबगंज।

एवं जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।

- 10 बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि माननीय विधायक, बोरियो द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में चेकपोस्ट पर CCTV लगवा दी गयी। नियमित रूप से परिवहन चालान की जांच करना साथ ही अन्य बिन्दुओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करें।

(सभी सदस्य जिला टास्क फोर्स (खनन) )

- 11 जन शिकायत के आलोक में रिहाईसी इलाके होने के कारण रेलवे रैक प्वाइंट, साहेबगंज/सकरीगली/ राजमहल को बंद करने हेतु रेल विभाग को पत्र दिया जाये, ताकि धूलकन एवं अन्य से मुक्त हो सके।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ टास्क फोर्स की आहूत बैठक समाप्त की गयी।

ह०

उपायुक्त,  
साहेबगंज।

ज्ञापांक...268.../एम०, दिनांक...10/9/21.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज/अपर समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल/क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्वद, के पदाधिकारी, दुमका/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज, राजमहल एवं बरहरवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,  
साहेबगंज।

जिला टास्क फोर्स (खनन) साहेबगंज की बैठक दिनांक 25.05.2021 को उपायुक्त -सह- अध्यक्ष की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार

- 1 पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज।
- 2 अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 3 अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।
- 4 जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 5 जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 6 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल/बरहरवा।

उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही एवं उसके अनुपालन की समीक्षा की गयी। तत्पश्चात् निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई :-

- 1 निर्णय लिया गया कि रिहाईसी इलाका रहने के कारण जिलेबिया घाटी में स्थित क्रशरों की जांच कर तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया जाय।  
अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज  
जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 2 ईट भट्टों की नियमित जांच करते हुए अवैध पाये जाने पर ईट संचालको के विरुद्ध प्राथमिकी दायर करना है।  
अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल,  
जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 3 निदेशित किया गया कि सकरीगली-महाराजपुर रोड, रेलवे साईडिंग के किनारे तथा NH. SH सड़को पर स्टोन चिप्स या स्टोन डस्ट काफी मात्रा में गिराया गया है, उससे संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जांच की कानूनी कार्यवाई करेंगे।  
अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल,  
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजमहल
- 4 अवैध खनन/परिवहन की नियमित रूप से जांच कर अवैध खननकर्ता/ परिवहनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाई की जाय।  
अनुपालन- अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल  
जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज/जिला खनन  
पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 5 अनुमंडल पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में जिला टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ अवैध क्रशर की जांच की जाये, ताकि अवैध क्रशर पर अंकुश लगाया जा सके।  
अनुपालन- अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल  
जिला टास्क फोर्स के सदस्य।
- 6 जिला समादेष्टा कार्यालय एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालय बांसकोला के आस-पास खदानों से पत्थर, मिट्टी को पहाड़ के उपरी भाग से गिरा दिया जाता है, जिससे समादेष्टा कार्यालय एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालय को क्षति होने की संभावना बनी हुई है, जिसकी जांच कर



उसके आस-पास खनन क्षेत्रों की मापी तथा विडीयोग्राफी कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल,  
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजमहल

- 7 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल/बरहरवा को निर्देशित किया गया कि साहेबगंज जिलान्तर्गत जो भी एक्सप्लोसिव का व्यवहार करते हैं उसकी जांच नियमित रूप से की जाय। साथ ही सभी पट्टेधारियों को DGMS से अनुमोदित किया गया प्रथम श्रेणी प्रबंधक या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक रखना अनिवार्य है। साथ ही विस्फोटक व्यवहार के समय उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। जिसकी भी निगरानी रखेंगे।

अनुपालन- अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल  
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल/बरहरवा।

- 8 नमामि गंगे के प्रावधानों के तहत गंगा नदी/ सड़क से पत्थर प्रेषण करने वाले नावों/ट्रकों को तिरपाल से ढककर प्रेषण की जाये। संबंधित व्यक्तियों द्वारा अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाय। साथ ही ओभरलोडेड वाहनों की नियमित जाँच करना।

- 9 अवैध खनन/परिवहन कर्ताओं के उपर दायर प्राथमिकी में गिरफ्तारी करना सुनिश्चित की जाय।

अनुपालन- जिला परिवहन पदाधिकारी।

अनुपालन- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,  
साहेबगंज/राजमहल/बरहरवा।

- 10 समदाघाट में अवैध पत्थर प्रेषण करने वाले के विरुद्ध छापेमारी कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाय। साथ ही कटिहार जिला के अनुरोध पर प्रेषित पत्थर का भी नियमित जांच करेगे।

अनुपालन- अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज  
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ टास्क फोर्स की आहूत बैठक समाप्त की गयी।

उपायुक्त,  
साहेबगंज।

ज्ञापांक 495/एम0, दिनांक 26/5/21

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज/अपर समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल/क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पध्द, के पदाधिकारी, दुमका/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज, राजमहल एवं बरहरवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,  
साहेबगंज।

549

ANNEXURE-IV

(61)



**Jharkhand State Pollution Control Board**  
Regional Office-Cum-Laboratory, Dumka- 814101  
Ph: 06434-230203, www.jspcb.nic.in

Ref. No. 1107

Dated 17/08/2021

From

Kamlakant Pathak,  
Regional Officer

To,

Rajiva Kumar Sinha,  
Section Head, Dumka  
Jharkhand State Pollution Control Board,  
Ranchi

Sub:

Submission of factsheet w.r.t the hon'ble NGT in O.A. No. 22/2021 (EZ) -  
regarding.

Sir,

With reference to above, noted subject factsheet w.r.t the hon'ble NGT in O.A.  
No. 22/2021 (EZ) is enclosed for onward action.

T.C.  
Kamal

Yours faithfully,

*[Signature]*  
17/08/2021  
(Kamlakant Pathak)  
Regional Officer

## तथ्य कथन (Fact Sheet)

माननीय NGT (हरित अधिकारण) O.A. no. 22/2021/EZ के आलोक में तथ्य कथन निम्न है :-

1. अवैध क्रसर एवं अन्य अनाधिकृत क्रसरों द्वारा गंगा किनारे पत्थरों का भण्डारण नहीं किया जाता है।
2. गंगा किनारे अवैध क्रसरों एवं अन्य अनाधिकृत क्रसरों द्वारा पत्थरों का भण्डारण नहीं किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में वरसात के समय पत्थर कण गंगा में प्रवाहित नहीं होता। कण प्रवाहित नहीं होने के कारण जल प्रदूषण की समस्या नहीं है। स्टोन चिप्स एवं स्टोन डस्ट किसी भी परिस्थिति में नाव में लोडिंग एवं अनलोडिंग नहीं किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में दमा की रोगी होने की सम्भावना नहीं है।
3. गंगा किनारे में सर्वश्री Ezma Stone Works के नाम से क्रसर इकाई स्थापित नहीं है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक- 57 दिनांक- 02.01.2021 द्वारा पत्थरों के भण्डारण हेतु वनभूमि से प्रस्तावित स्थल का 260 मीटर दूरी होने का प्रमाण पत्र निर्गत है, जिसका छाया प्रति संलग्न है। Annexure I
4. अवैध तरीकों से कोई भी स्टोन क्रसर गंगा किनारे अवस्थित नहीं था। वहाँ पर कुछ भण्डारकर्ताओं को पर्षद से सशर्त स्टोन चिप्स एवं डस्ट भण्डारण हेतु CTE/CTO निर्गत किया था परन्तु जन शिकायत/खनन पदाधिकारी/उपायुक्त, साहेबगंज के निर्देश के आलोक में प्रदत्त/ CTO रद्द किया गया था। जिसका छाया प्रति संलग्न है। Annexure II

T. C.  
Kamal

5. मदनशाही, छोटामदन शाही, बड़ा तौफीर, छोटा तौफीर एवं अन्य धाटो पर अवैध स्टान क्रसरों/भण्डारकत्ताओं द्वारा पत्थरों/डस्टों का अवैध भण्डारण एवं परिचालन नहीं किया जाता है।

6. स्टाने चिप्स का परिचालन 150-200 नावों द्वारा गंगा नदी में नहीं किया जाता है। नावों में लगे ईजन से तेल रिसाव गंगा में नहीं किया जाता है। जिसके कारण प्रदूषण होने की सम्भावना नहीं है।

7. समाचार पत्रों में दिख रहे कटिंग के आधार पर पूर्व में प्रकाशित सूचना है। अनुमान्य नहीं है।

8. गंगा नदी में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के कोडिंग के अनुसार महिना के एक-एक पक्ष के अन्तराल पर जल का नमूना संग्रहण एवं विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषणों के उपरान्त प्रदूषण तथ्यो का मात्रा पर्षद के मानक के अधीन है। रिपोर्ट संलग्न है।

### Annexure III

9. स्टोन चिप्स एवं डस्टों का डम्प गंगा किनारे नहीं होता है। जिससे जल प्रदूषण की समस्या नहीं है। सिव्रेज बहिस्त्राव जल सीधे रूप से गंगा में प्रवाहित नहीं किया जाता है। चूँकि बहिस्त्राव जल को उपचारित करने के लिए जुडको द्वारा बहिस्त्राव उपचार संयंत्र दो स्थापित किया गया है।

उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी के सही और सत्य है।

T.C.  
Kamal

13/08/2024  
क्षेत्रीय पदाधिकारी,  
दुमका।

374 552

जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज  
अथैध खनन/परिवहन की सूची जिस पर प्राथमिकी दायर की गयी है।

ANNEXURE D COLLY

वर्ष 2020 जानवरी 20 से	थाना जहाँ प्राथमिकी दर्ज की गयी	प्राथमिकी दर्ज की संख्या	पत्रांक / दिनांक	अनुवृत्ति
1	2	3	4	5
Jan-20	P.s-Mufsil	1	Letter No 01 Kemp dt.03.01.20	5 नाव सहित 5 व्यक्ति गिरफ्तार एवं 7 नामित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी। थाना कांड संख्या 03/2020
Jan-20	P.s-Borio	1	Letter No 01 Kemp dt.10.01.20	3 ट्रकों प्राथमिकी दर्ज
Feb-20	P.s-Mirzachoiki	1	Letter No 01 Kemp dt.01.02.2020	अथैधकर्ता रिजवान बालम को नामित करते हुए 2 जे0सी0बी, 2 स्टोन बेकर, 8 ट्रक 1 ट्रक्टर, 1 मोटरसाइकिल को जप्त का प्राथमिकी दर्ज किया गया है।
Feb-20	P.s- Mufsil	1	Letter No 01 Kemp dt.03.02.2020	अथैध उत्खनन परिवहन में सम्मिलित 3 नावों सहित 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। थाना कांड संख्या 17/2020
Feb-20	P.s- Mufsil	1	Letter No 221M dt.29.02.2020	4 ट्रकों प्राथमिकी दर्ज थाना कांड संख्या 40/2020
Feb-20	P.s- Mirzachoiki	1	Letter No 225M dt.03.03.2020	अथैध उत्खनन परिवहन में सम्मिलित 7 व्यक्तियों को नामित करते हुए उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Mar-20	P.s- Taljhari	1	Letter No 230M dt. 04.03.2020	अथैध उत्खनन परिवहन में सम्मिलित 1 व्यक्ति को नामित करते हुए 3 ट्रक्टर एवं 01 ट्रक को जप्त किया गया।
Mar-20	P.s- Jirwabači	1		अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के साथ निरीक्षण के क्रम में कागजातों को नहीं दिखाने के कारण 14 क्रारों को सील किया गया।
May-20	P.s- Jirwabači	1	Letter No 613 M dt. 18.05.20	अथैध भंडारण में सम्मिलित 5 व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
May-20	P.s- Ranga	1	Letter No 1Kemp dt. 25.05.20	अथैध भंडारण/परिवहन में सम्मिलित 1 ट्रक चालक सहित गिरफ्तार
May-20	P.s- Boriyo	1	Letter No 625 M dt. 27.05.20	अथैध परिवहन में सम्मिलित 7 ट्रक एवं 4 व्यक्ति गिरफ्तार
May-20	P.s- Rajmahal	1	Letter No 1Kemp dt. 31.05.20	अथैध परिवहन में सम्मिलित 18 ट्रक पर प्राथमिकी दर्ज
Jun-20	P.s- Mirzachoiki	1	Letter No 646 M dt. 03.06.20	139 अथैध परिवहन थालान से संबंधित ट्रकों पर प्राथमिकी दर्ज
Jun-20	P.s- Mufsil	1	Letter No 649 M dt. 04.06.20	3 नावों जप्त करते हुए उनके 3 चालकों की गिरफ्तारी एवं 3 नामित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Jun-20	P.s- Mirzachoiki	1	dated 04.06.2020	अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के साथ कागजात जाँचीपरान्त कर 2 क्रारों को सील किया गया
Jun-20	P.s- Mirzachoiki	1	dated 15.06.2020	अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के साथ अथैध परिवहन की जाँच में 1 ट्रक एवं 1 ट्रक्टर पर प्राथमिकी दायर।
Jun-20	P.s- Taljhari	1	dated 16.06.2020	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजमहल के साथ अथैध परिवहन की जाँच में 9 ट्रक पर प्राथमिकी दायर
Jun-20	P.s- Rajmahal	1	dated 16.06.2020	थाना प्रभारी राजमहल के साथ फलहरिया, मोड़ के आगे, राजमहल में अथैध बालू स्टॉक में 2 व्यक्ति पर प्राथमिकी दायर

११.६.  
Kamal

Jun-20	P.s- Jirwabadi	1	dated 17.06.2020	पुलिस निरीक्षक साहेबगंज, थाना प्रमारी जिरवाबाड़ी के साथ मदनसाही घाट पर 3 अर्ध पत्थर स्टॉक में 3 व्यक्ति एवं 2 छाईवा पर प्राथमिकी दायर
Jun-20	P.s- Mirzachouki	1	letter no 705 dated 20.06.2020	पुलिस निरीक्षक साहेबगंज, थाना प्रमारी मिर्जाचौकी के साथ बेलमद्री पहारपुर कोत्र में अर्ध क्रसर संचलन पर 9 व्यक्ति पर प्राथमिकी दायर
Jun-20	P.s- Taljhari	1	dated 24.06.2020	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजमहल के साथ अर्ध परिवहन की जांच में 1 ट्रक पर प्राथमिकी दायर
Jun-20	P.s- Jirwabadi	1	letter no 732 dated 25.06.2020	R.F.O, थाना प्रमारी जिरवाबाड़ी के साथ लोहण्डा क्षेत्र अर्ध पत्थर स्टॉक क्रसर के संचालन 9 प्राथमिकी दायर
Jul-20	P.s- Jirwabadi	1	letter no 813 dated 13.07.20	अर्ध पत्थर भंडारण एवं प्रेषण मदनसाही घाट पर 1 ट्रक पर प्राथमिकी दर्ज।
Jul-20	P.s- Jirwabadi	1	letter no 820 dated 15.07.20	थाना प्रमारी जिरवाबाड़ी, पु0अ0नि0, सादर सी0ओ0 के साथ साक्षरता मोड़ पर अर्ध बालू स्टॉक करने के कारण 3 नामित व्यक्ति 1 ट्रक एवं 2 ट्रेक्टर पर प्राथमिकी दर्ज।
Jul-20	P.s- Mufsil	1	letter no 821 dated 16.07.20	थाना प्रमारी मुफसील के साथ कलुवा पुल के पास अर्ध बालू परिवहन के कारण 2 ट्रक पर प्राथमिकी दर्ज। थाना कांड संख्या 109/2020
Aug-20	P.s- Jirwabadi	1	letter no Kemp 01 dated 09.08.20	गंगा नदी के किनारे मदनसाही, घानन, सोलीचौकी का औद्योगिक छापेमारी अधोहस्ताक्षरी, पुलिस निरीक्षक, साहेबगंज, थाना प्रमारी गु0 साथ की गयी जिसमें 1 ट्रेक्टर 5 नाव पर प्राथमिकी दर्ज।
Aug-20	P.s- Barhet	1	letter no Kemp 01 dated 12.08.20	बालू का औद्योगिक छापेमारी अधोहस्ताक्षरी, जिला परिवहन पदा0 साहेबगंज अंचल अधिकारी थाना प्रमारी बरहेट के साथ सिचा के पास अर्ध बालू परिवहन के कारण 4 ट्रेक्टर पर प्राथमिकी दर्ज।
Aug-20	P.s- Radhanagar	1	letter no 910 dated 14.08.20	बालू का औद्योगिक छापेमारी अधोहस्ताक्षरी, साहेबगंज पुलिस निरीक्षक, थाना प्रमारी राजमहल के साथ मोहनपुर उधवा के पास अर्ध बालू परिवहन के कारण 8 ट्रेक्टर पर प्राथमिकी दर्ज।
Aug-20	P.s- Rajmahal	1	letter no 964 dated 21.08.20	अर्ध पत्थर का औद्योगिक छापेमारी अधोहस्ताक्षरी, थाना प्रमारी राजमहल के साथ मुदराघाट के पास अर्ध पत्थर परिवहन के कारण 2 ट्रक पर प्राथमिकी दर्ज।
Aug-20	P.s- Mirzachouki	1	letter no 978 dated 28.08.20	अर्ध पत्थर भंडारण का औद्योगिक छापेमारी अधोहस्ताक्षरी, पुलिस निरीक्षक, थाना प्रमारी मिर्जाचौकी के साथ मौजा- बेलमद्री नीमगाछी में किया गया जिसमें 6 संचालको के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Aug-20	P.s- Mirzachouki	1	letter no 999 dated 30.08.20	अर्ध पत्थर संचलन का औद्योगिक छापेमारी अधोहस्ताक्षरी, अनुमंडल पदा0, साहेबगंज थाना प्रमारी मिर्जाचौकी के साथ मौजा-भुतहा में किया गया जिसमें 1 नामित व्यक्ति मोनु जाबसवाल एवं 4 पोक्सोन पर प्राथमिकी दर्ज
Sep-20	P.s- Mufsil	1	letter no 1037 dated 11.09.20	अर्ध पत्थर भंडारण का औद्योगिक छापेमारी अधोहस्ताक्षरी, जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ 02 ट्रक 2 ट्रेक्टर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

Sep-20	P.s- Nagar Thana	1	letter no 1038 dated 11.09.20	अवैध पत्थर भंडारण का औद्योगिक छापेमारी अधोहस्ताक्षरी, पुलिस निरीक्षक के साथ 06 ट्रक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Sep-20	P.s- Barhet	1	letter no 1052 dated 14.09.20	अवैध बालू भंडारण का औद्योगिक छापेमारी अधोहस्ताक्षरी, जिला परिवहन पदाधिकारी पुलिस निरीक्षक -सह-थाना प्रभारी बरहेट साथ गापलाडीह, हरवाडीह के आस-पास की गयी जिसमें 07 ट्रैक्टर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Sep-20	P.s- Mufsil	1	letter no 1074 dated 22.09.20	अवैध पत्थर परिवहन थाना प्रभारी मुफसील द्वारा एक ही आई गोदम महादेवगंज में 03 ट्रक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Oct-20	P.s- Mufsil	1	letter no 1169 dated 15.10.20	अवैध पत्थर परिवहन थाना प्रभारी मुफसील गरम घाट 2 ट्रैक्टर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज एवं 2 व्यक्ति गिरफ्तार
Oct-20	P.s- Mufsil	1	letter no 1168 dated 15.10.2020	अवैध पत्थर परिवहन थाना प्रभारी मुफसील द्वारा समदा घाट में अवैध पत्थर उत्खनन एवं परिवहन करने के विरुद्ध में 03 व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Oct-20	P.s- Mufsil	1	letter no 1206 dated 03.10.20	अवैध पत्थर परिवहन थाना प्रभारी मुफसील द्वारा समदा घाट में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज, अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवैध पत्थर उत्खनन एवं परिवहन करने के विरुद्ध में 04 ट्रक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Nov-20	P.s- Taljhari		letter no 1208 dated 04.11.20	अन्य पु० पदा० एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा मौजा बासकोला में अवैध उत्खनन कर बिक्री करने के उपर 01 व्यक्ति एवं 3 मोटरसाईकिल 1 कम्पेसर मशीन 1 पोकलेन, 3 ट्रैक्टर तथा 3 हाईवा जप्त कर प्राथमिकी दायर।
Nov-20	P.s- Mirzanchouki	1	letter no 1235 dated 11.11.20	अवैध पत्थर उत्खनन थाना मिर्जाचौकी, मौजा दामिनचीठ में अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज, अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवैध पत्थर उत्खनन एवं परिवहन करने के विरुद्ध में 06 ट्रक एवं 1 पोकलेन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Nov-20	P.s-Mufsil	1	letter no 1238 dated 12.11.20	सुकरघाट सकरीबली में गंगा नदी किनारे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवैध पत्थर उत्खनन एवं परिवहन करने के विरुद्ध में 06 व्यक्ति एवं 1 जेसीबी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Nov-20	P.s-Radhanagar	1	letter no 1254 dated 19.11.20	उधवा गंगा नदी किनारे थाना प्रभारी उधवा एवं राजस्व उप निरीक्षक उधवा अवैध मिट्टी उत्खनन एवं परिवहन करने के विरुद्ध में 04 ट्रैक्टर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Nov-20	P.s-Radhanagar	1	letter no 1279 dated 26.11.20	अवैध परिवहन करने के विरुद्ध में 01 ट्रक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Nov-20	P.s-Mufsil	1	letter no 01 dated 30.11.20	अधोहस्ताक्षरी एवं थाना प्रभारी मुफसील द्वारा हुकरा घाट में अवैध परिवहन करने में 02 नाव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Dec-20	P.s-Mufsil	1	letter no Kemp 01 dated 03.12.20	उपायुक्त, साहेबगंज की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज पुलिस निरीक्षक नगर प्रभाग, थाना प्रभारी मुफसील द्वारा समदा घाट में 07 नाव एवं 04 व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

Dec-20	P.s-Jirwahadi	1	letter no 1396 dated 10.12.20	उपायुक्त, साहेबगंज की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज मौजा- तेतरिया में अवैध उत्खनन एवं कचरा संचालक के विरुद्ध में 07 व्यक्ति गिरफ्तार, 7 व्यक्ति सहित 10 एवं 01 हाईवा, 01 पोकलेन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Dec-20	P.s-Tajhbari	1	letter no 1404 dated 11.12.20	अवैध बालू परिवहन में 01 ट्रक पर प्राथमिकी दर्ज
Jan-21	P.s-Tajhbari	1	letter no 41 dated 12.01.2021	उपायुक्त, साहेबगंज की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज मौजा- गदवा, चांगरी, किरोकुशिया में अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध में 03 व्यक्ति 01 पोकलेन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Jan-21	P.s-Jirwahadi	1	letter no 42 dated 12.01.2021	अपीइस्ताफ़री द्वारा मौजा- लौतीवेकी में अवैध ईट निर्माणकार्य विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज
Jan-21	P.s-Mufsil	1	letter no 101 dated 29.01.2021	अपीइस्ताफ़री द्वारा अवैध परिवहन में 01 ट्रक पर लकड़ी लोड सहित प्राथमिकी दर्ज
Jan-21	P.s-Mufsil	1	letter no 103 dated 30.01.2021	अपीइस्ताफ़री द्वारा अवैध परिवहन में 01 ट्रक पर लकड़ी लोड सहित प्राथमिकी दर्ज
Feb-21	P.s-Jirwahadi	1	letter no 115 dated 02.02.2021	उपायुक्त, साहेबगंज की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज मौजा- देवा शिमरिया, भुजा अमझोर में अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध में 01 व्यक्ति 01 पोकलेन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Mar-21	P.s-Jirwahadi	1	letter no 285 dated 12.03.2021	अपीइस्ताफ़री, थाना प्रभारी जिरवाडी एवं सरासुर पुलिस बल के साथ साहेबगंज मौजा- गरीकुटी में अवैध उत्खनन एवं परिवहन की जांच कर 03 व्यक्ति तथा 01 पोकलेन, 1 ट्रेक्टर, 1 ट्रैक्टर, 2 मोटरसाइकिल तथा 2 हाईवा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Mar-21	P.s-Tajhbari	1	letter no 292 dated 14.03.2021	अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल, अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल, अंचल अधिकारी, तालझारी, जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज एवं थाना प्रभारी, तालझारी तथा सरासुर पुलिस बल के साथ साहेबगंज मौजा- छोटा नथियामारी में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं कचरा संचालन के विरुद्ध में 01 व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Apr-21	P.s-Tajhbari	1	letter no 378 dated 02.04.2021	जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज एवं थाना प्रभारी, तालझारी एवं सरासुर पुलिस बल के साथ साहेबगंज मौजा- किरोकुशिया में अवैध उत्खनन, परिवहन के विरुद्ध में 02 व्यक्ति, 1 पोकलेन, 2 ट्रैक्टर एवं 2 पीस डील जैक ड्रमर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Apr-21	P.s-Radhanagar	1	letter no 442 dated 24.04.2021	अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल, पुलिस निरीक्षक राजमहल एवं जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज एवं सरासुर पुलिस बल के साथ साहेबगंज राधानगर बालू का अवैध उत्खनन, परिवहन के विरुद्ध में 2 ट्रक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
May-21	P.s-Tajhbari	1	letter no 491 dated 24.05.2021	थाना प्रभारी, तालझारी एवं सरासुर पुलिस बल के साथ साहेबगंज मौजा- गदवा में अवैध उत्खनन, परिवहन के 1 हाईवा गलिक बालक सहित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Jun-21	P.s-Jirwahadi	1	letter no 15 dated 05.06.21	जिला टास्क फोर्स खनन एवं जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज एवं थाना प्रभारी, जिरवाडी एवं सरासुर पुलिस बल के साथ साहेबगंज मंगा नदी ऊपर खेपी, गवनशाही, बामन घाट आदि में जांच कर 10 गांभित अवैधकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Jun-21	P.s-Tajhbari	1	letter no Kemp 1 dated 08.06.21	जिला टास्क फोर्स खनन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजमहल एवं जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज एवं थाना प्रभारी, तालझारी एवं सरासुर पुलिस बल के साथ मौजा- गदवा कर 05 गांभित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

## जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक- 964/240

दिनांक - 21-8-2020

सेवा में,

थाना प्रभारी,

राजमहल थाना।

विषय :- अवैध पत्थर उत्खनन कर -परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।  
महाशय,

प्रतिवेदित करना है की दिनांक 21.08.2020 को समय 11.00 बजे से राजमहल थाना अंतर्गत अवैध पत्थर का उत्खनन एवं परिवहन की औचक छापामारी जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज, थाना प्रभारी, राजमहल एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई। जांच के दौरान गुदराघाट राजमहल के पास खनिज से लदे वाहनो की जाँच की गयी। जाँच के दौरान ट्रक चालको से खनिज परिवहन चालान की माँग की गयी परन्तु चालक गाड़ी छोड़कर भाग खड़े हुए जिससे यह समझा गया की अवैध उत्खनन कर व्यापार करते हुए परिवहन किया जा रहा है। इस कार्य में निम्न ट्रकों पाये गये जो निम्न प्रकार है:—

क्र०सं०	ट्रक संख्या	पत्थर खनिज लोड की मात्रा	अभियुक्ति
1	WB73D2184	1000 घनफीट लगभग लोड है।	चालान नहीं दिखाया गया।
2	PH10Q8483	1000 घनफीट लगभग लोड है।	चालान नहीं दिखाया गया।

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 04 की धारा 1957(1) एवं 1“ए” का स्पष्ट उलंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21“1” एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अन्तर्गत की कार्रवाई किया जाय। झारखण्ड लघु खनिज समानुदास नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 के तहत कार्रवाई किया जाय साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379,414 के तहत की कार्रवाई किया जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन कार्यो में संलिप्त ट्रक चालकों/मालिक/ खनिज के विक्रेता एवं क्रेता विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समुदास नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कानुनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज किया जाय।

संलग्न: जमी सूची। -



T. C.  
Kansal

विश्वासभाजन  
21/08/20  
(बिभूति कुमार)  
जिला खनन पदाधिकारी,  
साहेबगंज।

पत्रांक 01 के 29 जिरावाडी

दिनांक 9.8.2020

सेवा में,

थाना प्रभारी  
 जिरावाडी थाना, साहेबगंज

विषय: अवैध पत्तार उत्खनन कर गंभीरता करते हुए नाव से प्रमाणिकता के बिना इ कार्रवाई करने के संबंध में।

साहाय्य

प्रातिवेदित किया है कि आज दिनांक 9.8.2020 को प्राय 11.30 बजे से जिरावाडी थाना अंतर्गत सदनगाडी थाना, सात चौकी खुदहरी इत्यादि क्षेत्रों में डीपीए प्रमाण करते हुए अवैध उत्खनन एवं नाव से परिवहन की शिकायत काणागरी पुलिस निरीक्षक नगर, जिला खनन पर्याप्तकारी, साहेबगंज थाना प्रभारी प्रपक्षीक एवं सहाय पुलिस बल के साथ की गई। जोर के दौरान सात चौकी खुदहरी के पास नाव में लड़े स्लोन गियर देखा गया और बल को उतारने की परिस्थिति नाव छोड़कर भागा जाने। जिससे यह समझा जाता कि अवैध पत्तार कर गंभीरता करते हुए नाव से गागा के माध्यम से परिवहन किया जा रहा था। गागा नदी के किनारे किसी भी व्यक्ति को कोई अनुज्ञापत्र निर्गत नहीं है। यह पूर्णतः अवैध एवं कर अंगीकारित करने का कार्य कर रहे हैं। इन कार्य में नाव पाया गया जो निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	नाव का नंबर	लौड खनिज की मात्रा पत्तार	अव्यक्ति
1.	नाव में नंबर अंकित नहीं है	1000 क्विंटल प्रति मजगा	लौड है।
2.	नाव में नंबर अंकित नहीं है	1000 क्विंटल प्रति मजगा	लौड है।
3.	नाव में नंबर अंकित नहीं है	खाली है	परन्तु स्लोन गैर है
4.	नाव में नंबर अंकित नहीं है	खाली है	घाट पर लजाया था
5.	नाव में नंबर अंकित नहीं है	खाली है	परन्तु स्लोन गैर है
6.	इंजन नंबर SWAP13735FE Engine No. 391354/SRNSUBSA. CLASS No. - WATN30605805260	25 क्विंटल प्रति मजगा	घाट पर लजाया था लौड है।

इस त्रुटि कार्ड से सावधानी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सन्धान का हाना हो रहा है। इतनेवनीय है कि कोई व्यक्ति बिना पत्रा या अनुज्ञापत्र आवण किसी खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विभाग से विधिगत 1957 की धारा 04 (1) एवं 1 ए का खारु उल्लंघन एवं अविधानिक के अन्तर्गत धारा 21 एवं 21(1) के अन्तर्गत दण्ड आचरित है एवं धारा 22 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाये। अन्वयण तथा खनिज सम्पुटान विभागकी 2004 के विभाग 04 एवं 54 एवं Jharkhand Mineral (Prevention of illegal Mining) Transportation and storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत साध ही गारंटीय इन धारा 175: 414: 329 के अन्तर्गत कार्रवाई जाये।

आ: उपरोक्त अवैध पत्तार उत्खनन भंगारण, परिवहन कार्य के अन्तर्गत थाना प्रभारी: प्राप्ति: खनिज क्रेता एवं विक्रेता के बिना एवं अनुज्ञापत्र विभागकी 2004, खान एवं खनिज विभाग से विधिगत 1957 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाये। इति करतुं पत्र कार्यालय जिरावाडी थाना, साहेबगंज-1।

T.E. Kamal  
 Received  
 Jm  
 09/08/2020

जिला खनन पर्याप्तकारी, साहेबगंज

जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक :- 01 कैम्प जिरवाबाड़ी

दिनांक:- 09.08.2020

सेवा में,

थाना प्रभारी  
जिरवाबाड़ी थाना- साहेबगंज।

विषय :- अवैध पत्थर उत्खन्न कर भंडारण करते हुए नाव से प्रेषणकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में।  
महाशय,

प्रतिवेदित करना है कि आज दिनांक- 09.08.2020 को प्रातः 11:30 बजे से जिरवाबाड़ी, थाना- अन्तर्गत मदनशाही, चानन, सत चौकी खूटहरी इत्यादि क्षेत्रों में क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए अवैध उत्खनन एवं नाव से परिवहन की औचक छापामारी पुलिस निरीक्षक, नगर जिला नगर जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज थाना तथा मुफ्फसिल एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई। जाँच के दौरान सतचौकी खटहरी के पास नाव में लदे स्टोन चिप्स देखा गया, जांच दल को देखते ही परिवहनकर्ता नाव छोड़कर भाग गये। जिससे यह समझा गया कि अवैध पत्थर कर भंडारण करते हुए नाव से गंगा के माध्यम से परिवहन किया जा रहा था। गंगा नदी के किनारे किसी भी व्यक्ति का कोई अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं है। यह पूर्णतः अवैध खनन कर भण्डारण करते कार्य कर रहे थे। इस कार्य में नाव पाया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	नाव का नम्बर	लोड खनिज की मात्रा पत्थर	अभ्युक्ति
1.	नाव में नम्बर अंकित नहीं है	1000 घनफीट लगभग	लोड है
2.	नाव में नम्बर अंकित नहीं है	1000 घनफीट लगभग	लोड है
3.	नाव में नम्बर अंकित नहीं है	खाली है	परन्तु स्टोन लोड हेतु घाट पर लगाया था
4.	नाव में नम्बर अंकित नहीं है	खाली है	परन्तु स्टोन लोड हेतु घाट पर लगाया था
5.	नाव में नम्बर अंकित नहीं है	खाली है	परन्तु स्टोन लोड हेतु घाट पर लगाया था
6.	ट्रैक्टर मॉडल SWARAJ 735FE Engin no. 391354/SRAJU885A Chasis no. WATN30605005260	75 घनफीट लगभग बालू	लोड है।

इस कृत कार्रवाई से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खन्न या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04 (1) एवं 1 ए का सरासर उल्लंघन उक्त अधिनियम के तहत धारा 21 ए एवं 21(c) के अन्तर्गत दण्ड प्रावधान है धारा 22 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाये। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand Mineral (Prevention of illegal mining) Transportation and storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत साथ ही भारतीय दण्ड धारा 175, 414, 379 के तहत भी कार्रवाई की जाये।

अतः उपरोक्त अवैध पत्थर उत्खन्न भण्डारण परिवहन कार्यों में संलिप्त नाव, ट्रैक्टर चालक, मालिक, खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड खनिज नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

जिला खनन पदाधिकारी,  
साहेबगंज।

थाना प्रभारी

जिरवावाड़ी थाना

साहेबगंज।

अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारण करते हुए नाव से परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए सख्त सलाह है।

प्रतिवेदित करना है की आज दिनांक 13.07.20 को प्रातः 2:00 से जिरवावाड़ी थाना अंतर्गत मदनशाही घाट समूह घाट इत्यादि क्षेत्रों में क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए अवैध उत्खनन एवं परिवहन की औद्योगिक छाया में जिरवावाड़ी थाना प्रभारी जिरवावाड़ी, जिला खनन पदाधिकारी एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई जाँच में गंगा नदी किनारे मदनशाही घाट एवं घानन घाट के पास नाव में उत्खनित अवैध पत्थर का भंडारण करके परिवहन किया जा रहा था। नाव चालको ने हमलोगों को देखते ही भाग खड़े हुए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नाव को किसी प्रकार का व्यापार करना अवैध है। उक्त स्थल पर खनिज से लदे गाड़ी पाया गया, जिसे काटकर भाग खड़े हुए, जो निम्न प्रकार है -

ट्रक संख्या	पत्थर चिप्स खनिज की मात्रा	अभ्युक्ति
JH18G-8823	चिप्स 1000 घनफीट लगभग	बिना चालान के

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। यह कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1'ए' का उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21'ए' एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के तहत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 के तहत कार्रवाई की जाय। and mineral (Prevention of Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 के तहत कार्रवाई करने हेतु कार्रवाई की जाय। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 175, 379, 380 के तहत कार्रवाई किया जाय। गंगा नदी में नाव लगाकर अवैध रूप से खनिज लोड कर परिवहन करना कानूनी प्रावधानित हो रहा है। इसके अन्तर्गत भी गंगा रिपर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाय।

उक्त उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति, पत्थर खनिज क्षेत्रों में खनन एवं सुरुंगगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

*Noted to be Basis Registered a Case*  
*19.414 1818 54 Jharkhand Mines*  
*Carbon rate 2017 A11*  
*Investigate this case*

विश्वासभाजन  
 (विभागीय कुमारी) 13/7/2020  
 जिला खनन पदाधिकारी  
 साहेबगंज।

T.E.  
 Kannaal

13.7.2020

जिला खनन कार्यालय साहेबगंज

पत्रांक- 649/एच.

सेवा में

दिनांक- 04.06.2020.

थाना प्रभारी

मुफरिसल थाना, साहेबगंज।

विषय:- अवैध पत्थर उत्खनन कर नाव के द्वारा परिवहन कार्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

प्रतिवेदित करना है कि आज दिनांक- 04.06.2020 को सुबह 04:00 बजे से मुफरिसल थाना अन्तर्गत मौजा हरप्रसाद गरम टोला के पास पत्थर से लदे नावों की जाँच संयुक्त रूप से पुलिस निरीक्षक नगर प्रभार साहेबगंज, जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज, थाना प्रभारी मुफरिसल सशस्त्र पुलिस बल के साथ औचक छापामारी एवं पत्थर से लदे नावों की जाँच की गई। जाँच के क्रम में पत्थर से लदे नावों को देखा गया एवं खनिज परिवहन चालान की मांग की गई परंतु नाव चालक के द्वारा खनिज परिवहन चालान नहीं दिखाया गया। जिसे समझा गया कि अवैध उत्खनन कर परिवहन करते हुए व्यापार किया जा रहा है। इस कार्य में निम्नलिखित व्यक्ति संलिप्त हैं जो निम्न प्रकार हैं -

क्र० सं०	नाव का नम्बर	संलिप्त व्यक्ति	पत्थर खनिज लोड की मात्रा	अभियुक्ति
01	नाव में नम्बर अंकित नहीं है।	कुशेश्वर मंडल पिता स्व० लालचन्द मंडल ग्राम तीनडंगा बटेश्वर जिला भागलपुर (बिहार)	1200 घन फीट लगभग	लोड है
02	नाव में नम्बर अंकित नहीं है।	पुरन मंडल पिता कंचन मंडल ग्राम तीनडंगा बटेश्वर जिला भागलपुर (बिहार)	1200 घन फीट लगभग	लोड है
03	नाव में नम्बर अंकित नहीं है।	पंकज मंडल पिता नार्गेश्वर मंडल ग्राम तीनडंगा बटेश्वर जिला भागलपुर (बिहार)	400 घन फीट लगभग	लोड है

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञापति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1 ए का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21 ए एवं 21(6) के अन्तर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अन्तर्गत कारवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कारवाई की जाय। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 175, 379, 414 के अन्तर्गत भी कारवाई किया जाय।

Received  
AP  
04.06.2020

T. C.  
Karnal

*[Signature]*

1.1.0

पकड़े गये नाव चालकों के द्वारा यह बताया गया कि मौजा सोती चौकी मदनशाही से पत्थर लोड किया गया है एवं आपूर्तिकर्ता मकसुद आलम उम्र 55 वर्ष पिता ना मालुम ग्राम छोटा मस्जिद के पास मदनशाही थाना जिरवाबाडी (साहेबगंज), बिट्टु अंसारी उम्र 40 वर्ष पिता जलिल अंसारी ग्राम मदनशाही जिरवाबाडी साहेबगंज, आजमुद्दीन अंसारी पिता ना मालुम ग्राम पंचायत भवन के पास बडा मदनशाही एवं दो तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा पत्थर अवैध उत्खनन कर सोती चौकी खुटहरी (मदनशाही) से व्यापार किया जा रहा है। इनके पास कोई खनन पट्टा या आनुज्ञाप्ति नहीं है।

अतः उपरोक्त अवैध पत्थर उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति नाव के चालक, मालिक, खनिज के क्रेता एवं बिक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास विनियम 1957 एवं अन्य सुसंगित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानुनी कारवाई करने की कृपा की जाय।

संलग्न :- जमि सूची 01

T.C.  
Karnal

विश्वाभजान

*Shuman*  
04/06/2020  
(विभूति कुमार)

जिला खनन पदाधिकारी  
साहेबगंज।

पकड़े गये नाव चालकों के द्वारा यह बताया गया कि मौजा- सोती चौकी, मदनशाही से पत्थर लोड किया गया है एवं आपूर्तिकर्ता मकसुद आलम उम्र 55 वर्ष पिता ना मालुम, ग्राम- छोटा मस्जिद के पास मदनशाही, थाना जिरवाबाड़ी, (साहेबगंज), बिट्टु अंसारी उम्र 40 वर्ष पिता जलिल अंसारी ग्राम मदनशाही जिरवाबाड़ी, साहेबगंज, आजमुद्दीन अंसारी पिता- ना मालुम ग्राम- पंचायत भवन के पास बड़ा मदनशाही एवं दो तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा पत्थर अवैध उत्खन्न कर सोती चौकी खुटहरी (मदनशाही) से व्यापार किया जा रहा है। इनके पास कोई खनन पट्टा या आनुज्ञापति नहीं है।

अतः उपरोक्त अवैध पत्थर उत्खन्न, भंडारण एवं परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति नाव के चालक, मालिक, खनिज के क्रेता एवं बिक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान निमयमावली 2004 खान एवं खनिज एवं विनियम 1957 एवं अन्य सुसंगित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानुनी कारवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

संलग्न :- जपति सूची 01

ह0/-  
विभूति कुमार  
(जिला खनन पदाधिकारी)  
साहेबगंज

दिनांक 01 जनवरी

दिनांक 03.01.2020

सेवा में

शाना प्रभारी

मुफ्तकानिष्ठ, नवनगर, नवनगर

विषय :- फ.धर उपकरण कर भावकों द्वारा परिष्करण के निम्न, प्राथमिकी करी करने के संबंध में।

प्रस्तावना

प्रतिवेदन करना है कि आज दिनांक 03.01.2020 प्रातः 5.00 बजे से मुफ्तकानिष्ठ शाना अन्तर्गत मौजा हरौदाद गाम की गाँव व नगर से लगे गाँव की जॉन सड़क रूप से मुफ्तकानिष्ठ शाना प्रभारी जिला नवनगर परीक्षार्थी द्वारा जिला नवनगर जिला नवनगर के साथ जिला नवनगर के फ.धर से लगे गाँव की जॉन की गई। जॉन के क्रम में फ.धर से लगे गाँव को उखाड़ा गया एवं लकड़ों परिकरन सामान को मांग की गई परन्तु गाँव-गाँव के द्वारा रकबाज परिकरन सामान नहीं दिया गया। जिनके पर संज्ञकता जमा कि अक्षय उपकरण कर परिकरन करने हुए लकड़ों द्वारा मा-राहे हैं। उस कार्य में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित हैं जो निम्न प्रकार हैं :-

क्र.सं.	नाम का नम्बर	संश्लिष्ट व्यक्ति	रकबाज मांड की मांग को.रकबा	अनुक्ति
1.	1952	बीरब जिधरुल पि. शंकर आनिस ग्राम पंचायत 7/1 कादिबनर मामन्दा (20 बंगला)	1000 बगचीर नवनगर	मांड है
2.	1942	रवि इल्लाम पि. चंद शंकर ग्राम नवनगर 7/1 कादिबनर मामन्दा (20 बंगला)	1600 बगचीर नवनगर	मांड है
3.	नवनगर अंकिन नही है	वसुधा साहनी 5/0 महेन्द्र साहनी वेदभारस्थान 7/1 अमरीचक्र नवनगर (बिहार)	900 बगचीर नवनगर	मांड है
4.	नवनगर अंकिन नही है	अरुण साहनी 5/0 शिवम साहनी वेदभारस्थान 7/1 अमरीचक्र नवनगर (बिहार)	900 बगचीर नवनगर	मांड है
5.	नवनगर अंकिन नही है	रजनीत चौधरी पि. ग्राम - जहाजौला, प्रनिकारी बिहार (बिहार)	900 बगचीर नवनगर	मांड है

आवेदन दिनांक 03/11/20  
मुफ्तकानिष्ठ नवनगर

T.C. Kaurvat

उस क्रम से सरकारी राश्रव को चोरी से रडी है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग का क्षरण भी हो रहा है। उपरोक्तिका है कि कोई भी व्यक्ति बिना पूरा या अंशतः पारण किये नवनगर का उपकरण या परिकरन नहीं कर सकता है एवं वेदभार करना खान एवं रकबाज विकास एवं निम्निका 1957 की धारा 04(1) एवं उपरोक्त का धरु उपकरण है।

*(Handwritten signature)*



True copy of pages 561 & 562

383 एवं 384

## जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक - 01 कैम्प मु0

दिनांक- 03.01.2020

सेवा में,  
थाना प्रभारी,  
मुफ्फसिल थाना, साहेबगंज।

विषय :- पत्थर उत्खनन कर नाव के द्वारा परिवर्तनकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।  
महाशय,

प्रतिवेदन करना है कि आज दिनांक 03.01.2020 प्रातः 5:00 बजे से मुफ्फसिल थाना अन्तर्गत मौजा- हरप्रसाद गरमटोला के पास पत्थर से लड़े नाव की जाँच सशुल्क रूप से मुफ्फसिल थाना प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज सशस्त्र पुलिस बल के साथ औचक छापामारी एवं पत्थर से लड़े नाव की जाँच की गई जाँच के क्रम में पत्थर से लदे नाव की जाँच की गई। जाँच के क्रम में पत्थर से लदे नाव को देखा गया एवं खनिज परिवहन चालान की मांग की गई परन्तु नाव चालक के द्वारा खनिज परिवहन चालान नहीं दिखाया गया। जिससे यह समझा गया कि अवैध उत्खनन कर परिवहन करते हुए व्यापार किया जा रहा है। इस कार्य में निम्नलिखित व्यक्ति संलिप्त है, जो निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	नाव का नम्बर	संलिप्त व्यक्ति	खनिज लोड की मात्रा स्टोन चिप्स	अभ्युक्ति
1	1952	शेख किय., पि0- शेख आनेस, ग्राम- पंचानपुर,	1000 घनफीट लगभग	लोड है
2	1942	रवि इस्लाम, पि0- चौद शेख, ग्राम- जमालपुर, पो0 - मानिकचक्र	1000 घनफीट लगभग	लोड है
3	नम्बर अंकित नहीं है	बल्लू सहनी, पि0- महेन्द्र सहनी, वेटशर स्थान, था0- अनरीचक्र, भागलपुर, बिहार	900 घनफीट लगभग	लोड है
4	नम्बर अंकित नहीं है	अरुण सहनी, पि0- शिवम् सहनी, वेटशर स्थान, था0- अनरीचक्र, भागलपुर, बिहार	900 घनफीट लगभग	लोड है
5	नम्बर अंकित नहीं है	रंजित चौधरी पि0- ग्राम- गटाशोला, मनिहारी, कटिहार बिहार	900 घनफीट लगभग	लोड है

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखित है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04 (1) एवं 1 "ए" का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के धारा 21 ए एवं 21 (6) के अन्तर्गत दण्ड है एवं धारा 22 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाये। झारखण्ड लघु खनिज नियमावली 2004 के निमय 04 एवं 54 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने कार्रवाई की जाये। पकड़े गये नाव चालकों के द्वारा यह बताया गया कि सोती चौकी खुटहरी (मदनशाही) से पत्थर आपूर्तिकर्ता अशोक पि0 महेश मंडल, मेटल अंसारी, पि0 मो0 जलीम अंसारी, रहिश अहमद पि0 अब्दूल हहन मुरबीद अंसारी पि0 नमालू, प्रेम चन्द मंडल, पि0 महेश मंडल सभी ग्राम मदनशाही या जिरवाबाड़ी ओ0 पी0, ऋषिकेश ठाकुर पि0 स्व0 रामजी ठाकुर ग्राम+था0- जिरवाबाड़ी मोहन यादव पि0 स्व0 ऐशवनी यादव साहेबगंज जिरवाबाड़ी सभी जिला साहेबगंज के निवासी है।

अतः उपरोक्त अवैध पत्थर उत्खनन भंडारण परिवहन कार्यो से संलिप्त व्यक्ति क्रेता एवं विक्रेता नाव चालक एवं मालिक के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जायें।

जब्ती सूची संलग्न :- 01

विश्वासभाजन,

ह0/-

विभूति कुमार

(जिला खनन पदाधिकारी)

साहेबगंज।

01.02.19

दिनांक 17.3.2019

सेवा में  
 धारा प्रभारी  
 मुख्यालय साहेबगंज ।

विषय: अर्द्धा पत्थर उत्खनन एवं परिवहन कार्यों के निरन्तर प्रासंगिकी  
 कराने के संबंध में

महाशय

प्रतिवेदित करना है कि आज दिनांक 17.3.2019 को सुबह  
 6.00 बजे से मुख्यालय साहा अन्तर्गत विभिन्न खानों पर अर्द्धा उत्खनन  
 एवं परिवहन की अर्द्धा कार्रवाई अनुभवालय पर्यवेक्षक साहेबगंज, जिला  
 खनन पर्यवेक्षक साहेबगंज एवं सहायक पुलिस वरुंड साहा की उर्ध्व  
 मौजूदगी के दौरान बोगपुर पंचायत के सुकरा बाजार जंगल नदी किनारे  
 बड़े पैमाने पर खान खोदने के द्वारा अर्द्धा प्रेषण किया जा रहा था।  
 नाकबंदी से बूझना करने एवं खनिज परिवहन सामान की जांच करने पर  
 नदी किनारे एक कन्या आया कि खानों के द्वारा अर्द्धा  
 उत्खनन कर लगे हुए एवं परिवहन किया जा रहा है। अतिरिक्त यह बताया गया  
 कि यह कार्य पूर्णतः अर्द्धा है। उक्त कार्य में संलग्न नाव एवं अर्द्धा कर  
 निम्न है :

नाव नं०	व्यक्ति का नाम	नाव पर लोड
BEK-195	चन्द्रशेखर प्रसाद पं० जालपीबंदर मन्साह गाँव खुशहालपुर पं० बुलदाबाद थाने वारी जि० कटिहार	खनिज चिन्त 600 टन पत्थर (अर्द्धा)

इस कार्य से सरकारी राजस्व की नोरी से उरी एवं राष्ट्रीय संपत्ति का  
 क्षरण भी हो रहा है। अतिरिक्त यह है कि कोई भी वाहन किनासा या अर्द्धा  
 स्थान पर खनिज का उत्खनन या परिवहन कर लेना है एवं ऐसा करना  
 अर्द्धा एवं खनिज विभाग एवं विभाग 1957 की धारा 4(1) एवं 1 एवं 2 एवं  
 54 के अन्तर्गत अर्द्धा उत्खनन करने हेतु करियर की जांच। साथ ही भारतीय नौ  
 संविदा की धारा 379 : 414 के अन्तर्गत कार्य कर किया जाये।

अतः अर्द्धा उत्खनन / अर्द्धा परिवहन कार्यों में संलग्न व्यक्ति  
 नाव-मासिक / नाव प्राप्ति, खनिज कृता एवं विद्युत के निरन्तर आभार एवं  
 खनिज संप्रदाय निषेधावली 1954, खान एवं खनिज विभाग एवं विभाग 1954  
 Gauge Protection Act एवं अन्य सुकृत धाराओं के तहत प्रासंगिकी इसे न  
 इले कार्रवाई करियर करने की कृपा की जाये।  
 नदी नदी संलग्न-1

Received  
 17/03/19

17/03/19

विभागाध्यक्ष  
 17/03/19

Typed copy of 563

385

जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक 01 कैम्प

दिनांक- 17.03.2019

सेवा में,  
थाना प्रभारी,  
मुफ्फसिल थाना, साहेबगंज।

विषय :- अवैध पत्थर उत्खनन एवं परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।  
महाशय,

प्रतिवेदित करना है कि आज दिनांक- 17.03.2019 को सुबह 6:00 बजे से मुफ्फसिल थाना अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर अवैध उत्खनन एवं पविहन की औचक छापामारी अनुमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज, जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई जाँच के दौरान रामपुर पंचायत के सुकरा बाजार गंगा नदी किनारे बड़े पैमाने पर स्टोन चिप्स नाव के द्वारा अवैध प्रेषण किया जा रहा था। नाव वाले से पूछताछ करने एवं खनिज परिवहन चालान की मांग करने पर नहीं दिखाया एवं बताया गया कि स्थानीय क्रेशर संचालकों के द्वारा अवैध उत्खनन कर व्यापार एवं परिवहन किया जा रहा है। जिससे यह पाया जाना कि यह कार्य पूर्णतः अवैध है। इस कार्य में संलिप्त नाव एवं आपूर्तिकर्ता निम्न है।

नाव सं०	व्यक्ति का नाम	नाव पर लोड
BEK -195	चन्द्रशेखर मल्लाह पि०- लालपोरख मल्लाह, ग्राम- खुशहालपुर, पो० गुरुबाजार, थाना- बरारी, जिला- कटिहार	स्टोन चिप्स 600 घनफीट लगभग

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति विनाश या अनुज्ञापति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 4(1) एवं 1 ए का स्पष्ट उल्लघन है। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियममावली 2004 के नियम 04 एवं 54 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाये। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 414 के अन्तर्गत कार्रवाई किया जाय।

अतः अवैध उत्खनन /भण्डारण/परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति नाव चालक/ नाव मालिक, खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियममावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 Ganga protection act एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

जब्तगी सूची संलग्न - 01

विश्वासभाजन,  
ह०/-  
विभूति कुमार  
(जिला खनन पदाधिकारी)  
साहेबगंज।

61-10-81  
61/10/81  
01/10/81

\_\_\_\_\_

Faint, mostly illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. Some words like "आप" and "क्या" are faintly visible.

Faint text at the bottom of the main body, possibly a signature or a reference number.

दिनांक 13/11/81  
73  
विभागाध्यक्ष, साहयगंज

Fresh copy of pag 564

**जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज**

पत्रांक .....73...../ दिनांक 13/11/19.....

संग में,

थाना प्रभारी,  
राधानगर, साहेबगंज।

विषय :- अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारण करते हुए नाव से परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

प्रसंग :- अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के ज्ञापांक 10/गो0, राजमहल, दिनांक 12.01.19

महाशय,

प्रतिवेदित करना है की अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के ज्ञापांक 10/गो0, राजमहल, दिनांक 12.01.19 को राधानगर थाना अंतर्गत अपराहन 3.15 बजे अवैध उत्खनन एवं परिवहन की औचक छापामारी अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल एवं सशक्त पुलिस बल के साथ की गई। जांच के दौरान गंगा नदी किनारे राधानगर के पास नाव में अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारण करते हुए परिवहन किया जा रहा था। नाव चालको से खनिज का परिवहन चालान की मांग करने पर नहीं दिखाया गया एवं बताया गया कि स्थानीय कैसर संचालको के द्वारा खनिज की आपूर्ति की जाती है। आपूर्ति कर्ता का नाम एवं पता सही रूप से नहीं बताया गया। जिससे यह समझा गया की स्थानीय कैसर संचालको द्वारा ही पत्थर खनिज अवैध उत्खनन कर भंडारण करते हुए व्यापार कर परिवहन किया जा रहा है। 03 अन्य नाव पर भी पत्थर लोड किया जा रहा था, जिसे जप्त कर सुपूर्द किया गया, जिनका नं0 WB-1924.WB-1943 एवं 01 नाव पर कोई नंबर अंकित नहीं है। भंडारण स्थल पर काफी मात्रा में स्टोन चिप्स पड़ा हुआ है।

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1"ए" का स्पष्ट उलंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21"ए" एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 के अंतर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाय। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 175,379,414 के अन्तर्गत कार्रवाई किया जाय। गंगा नदी में नाव लगाकर अवैध रूप से खनिज लोड कर परिवहन करने के कारण गंगा प्रदूषित हो रहा है। इसके अन्तर्गत भी गंगा रिवर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्यो में संलिप्त व्यक्ति, नाव चालक, मालिक पत्थर खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957, गंगा रिवर ऐक्ट एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

जिला खनन पदाधिकारी  
साहेबगंज।

## जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक 1206 / एम० दिनांक 31/11/2020

सेवा में,

थाना प्रभारी,  
मुफसौल थाना,  
साहेबगंज।

विषय :- अवैध पत्थर उत्खनन कर परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

प्रतिवेदित करना है की दिनांक 02.11.2020 को रात्रि 9:10 बजे मुफसौल थाना अंतर्गत समादाघाट इत्यादि क्षेत्रों का क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए अवैध उत्खनन एवं परिवहन की औचक छापामारी अधोहस्ताक्षरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई। समादाघाट में अवैध पत्थर से लदे ट्रकों की जांच की गयी, जांच के क्रम में चालक हमलोगों को देखते ही भाग खड़े हुए। जिससे यह समझा गया कि कि उनके द्वारा अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन कर प्रेषण किया जा रहा है। इस कार्य में संलिप्त गाड़ी निम्न प्रकार है :-

क्र०	ट्रक संख्या	संलिप्त व्यक्ति का नाम	पत्थर खनिज की मात्रा	अभ्युक्ति
1		BRIIE-9086	पत्थर 1000 घनफीट लगभग	
2		OR14K-5032	पत्थर 1000 घनफीट लगभग	
3		BRIIG-4373	पत्थर 1000 घनफीट लगभग	
4		BRIIG-9086	पत्थर 1000 घनफीट लगभग	

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञापि धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1"ए" का स्पष्ट उलंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21"ए" एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand mineral (Prevention of Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाय। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411 एवं 175 के अन्तर्गत कार्रवाई किया जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्यों में संलिप्त गाड़ी, गाड़ी चालक, गाड़ी मालिक, पत्थर खनिज क्रंता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- जप्ती सूची।

विश्वासभाजन

(विभूति कुमार)  
जिला खनन पदाधिकारी  
साहेबगंज।

९.११  
Kamal

## जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक 1238 / एम० दिनांक 12/11/2020

सेवा में,

थाना प्रभारी,  
मुफ्फसिल थाना,  
साहेबगंज।

विषय :- अवैध पत्थर उत्खनन कर परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

प्रतिवेदित करना है की दिनांक 12.11.2020 को सुबह 05:00 बजे से मुफ्फसिल थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए अवैध उत्खनन एवं परिवहन की औचक छापामारी अधोहस्ताक्षरी थाना प्रभारी, मुफ्फसिल एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ मौजा शुक्रघाट, (सकरीगली) का किया गया। जांच के क्रम में अवैध पत्थर उत्खनन एवं प्रेषण कार्य में लगे हुए 01 नाव, JCB 01 अवैध खनन स्थल पर पत्थर लोड करते हुए पकड़ा गया। जिससे यह समझा गया कि कि उनके द्वारा अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन कर प्रेषण किया जा रहा था। मौजा शुक्रघाट में निम्न व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है एवं इस कार्य में निम्न नाव/गाड़ी का उपयोग किया जा रहा है जो निम्न प्रकार है :-

क्र०	वाहन संख्या	संलिप्त व्यक्ति का नाम	अभ्युक्ति
1	नाव (नम्बर अंकित नहीं है)		1000 घनफीट पत्थर लोड
2	JCB, Machine No-1877599 Engine SI No-H82296129 Chassis No- HAR30XSSC01877599	देवेन्द्र यादव, पिता- अज्ञात बच्चू यादव, पिता- अज्ञात अनीस यादव, पिता- अज्ञात सुनील यादव, पिता- अज्ञात मनीष यादव, पिता- अज्ञात मिदुन यादव, पिता- अज्ञात मो०+पोस्ट-सकरीगली थाना- मुफ्फसिल जिला-साहेबगंज।	

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञापित धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1'ए' का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21'ए' एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand mineral (Prevention of Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत

T-C  
K. K. K.

: 2 :

अवैध उत्खनन करने हेतु कारवाई की जाय। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 378 अन्तर्गत कारवाई किया जाये।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति, गाव/वाला, चालक, नाव/गाड़ी मालिक, पत्थर खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु उद्योग समुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- जप्ती सूची।

Sandip Singh  
12/11/20  
P.O.  
M.P.S

विश्वासमाजन

12/11/2020  
(बिभूति कुमार)

जिला खनन पदाधिकारी  
साहेबगंज।

T.C.  
Kamal

Typed copy of page 567

३३५  
३०४

अवैध उत्खन्न करने हेतु कारवाई की जाय। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 एवं अन्तर्गत कारवाई किया जाये।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खन्न, भंडारण, परिवहन कार्यो में संलिप्त व्यक्ति, नाव/ नाव6 चालक, नाव/गाड़ी मालिक, पत्थर खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज सममुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं अन्य सुसंगत धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

संलग्न :- जप्ति सूची ।

ह0/-

विभूति कुमार  
(जिला खनन पदाधिकारी)  
सहेबगंज

## जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

दिनांक 11/69 / एमो दिनांक 15/10/2020

में

थाना प्रभारी,  
मुफसील थाना,  
साहेबगंज।

विषय -

अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारण करते हुए परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी करने के संबंध में।

महाराष्ट्र,

प्रतिवेदित करना है की आज दिनांक 15.10.2020 को प्रातः 7:30 बजे से साहेबगंज मुफसील थाना अंतर्गत क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान गणघाट में अवैध उत्खनन एवं परिवहन की अधिक छापाकारी अधीहस्ताक्षरी थाना प्रभारी मुफसील थाना एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई। जांच के दौरान गणघाट नदी किनारे अवैध उत्खनित पत्थर का भंडारण करते हुए परिवहन किया जा रहा था। नदी किनारे कुछ छिटफुट पत्थर पाये गये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गंगा किनारे पत्थर का किसी प्रकार का व्यापार करना अवैध है। जांच के समय विषय से लगे 2 ट्रैक्टर सम्बन्धित व्यक्तियों का नाम निम्न प्रकार है -

क्र०	ट्रैक्टर संख्या / चेचीस / इंजन नो	संलिप्त व्यक्ति का नाम	पत्थर खनिज की मात्रा	अभ्युक्ति
1	Tractor No A/F Engine no-331008 SLP2469A Chasis No- 124405020516	सोतेश कुमार पित्त- लालु यादव मु. प. थो- बकलमपुर जिला- भागलपुर	पत्थर 150 घनफीट लगभग	बिना चलान क
2	Tractor No A/F Engine no-Evass 34773553 Chasis No- 100060941	दीपक यादव पं- शिवगुनी यादव, सा - महादेवगंज, थाना- मुफसील जिला - साहेबगंज।	पत्थर 150 घनफीट लगभग	बिना चलान क

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1'ए' का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21'ए' एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्राक्धानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand mineral (Prevention of Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाय। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411 413 414 एवं 175 के अन्तर्गत कार्रवाई किया जाय। गंगा नदी में ट्रैक्टर से अवैध रूप से खनिज लोड का परिवहन करने के कारण गंगा प्रदूषित हो रहा है। इसके अन्तर्गत भी गंगा रिवर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्यों में संलिप्त गाड़ी, चालक, मालिक, पत्थर खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957, गंगा रिवर ऐक्ट एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

T.C.  
Kamran

विश्वासभाजन  
15/10/2020  
(किंभूति कुमार)  
जिला खनन पदाधिकारी  
साहेबगंज।

Traced copy of 568

390

**जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज**

पत्रांक 1169 / एम0 दिनांक 15/10/2020

सेवा में

थाना प्रभारी,

मुफ्फसिल थाना, साहेबगंज।

विषय :-

अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारण करते हुए परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी करने के संबंध में।

महाशय,

प्रतिवेदित करना है कि दिनांक- 15.10.2020 को प्रातः 7:30 बजे से साहेबगंज मुफ्फसिल थाना अन्तर्गत क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान समदाघाट में अवैध उत्खनन एवं परिवहन की औचक छापामारी अधोहस्तक्षरी थाना प्रभारी मुफ्फसिल थाना एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई। जांच के दौरान समदाघाट नदी किनारे अवैध उत्खनित पत्थर का भण्डारण करते हुए परिवहन किया जा रहा था। नदी किनारे कुछ छिटफुट पत्थर पाये गये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गंगा किनारे पत्थर का किसी प्रकार का व्यापार करना अवैध है। जांच के समय चिप्स से लदे 02 ट्रेक्टर सम्मिलित व्यक्तियों का नाम निम्न प्रकार है :-

क्रं0	ट्रेक्टर संख्या/चेचीस /इंजन सं0	संलिप्त व्यक्ति का नाम एवं पता	पत्थर खनिज की मात्रा	अभ्युक्ति
1	Tractor no. A/F Engin no. 331008/SLP2469A Chasis no. T24405020516	रीतेश कुमार, पिता- लालु यादव, मु0+पो0- बकलपुर, जिला- भागलपुर	पत्थर 150 घनफीट लगभग	बिना चलान के
2	Tractor no. A/F Engin no. .... 34727553 Chasis no. 1006609414	दीपक यादव, पो0- शिवमुनी यादव, सा0- महादेवगंज, थाना- मुफ्फसिल, जिला- साहेबगंज।	पत्थर 150 घनफीट लगभग	बिना चलान के

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रही है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञापि धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 4(1) एवं 1 ए का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21ए एवं 21(6) के अन्तर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand mineral (Prevention of illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाय। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411, 413, 414, एवं 175 के अन्तर्गत कार्रवाई किया जाय। गंगा नदी में नाव लगाकर अवैध रूप से खनिज लोड कर परिवहन करने के कारण गंगा प्रदूषित हो रहा है। इसके अन्तर्गत भी गंगा रिवर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन भंडारण परिवहन कार्यों में संलिप्त गाड़ी, चालक, मालिक, पत्थर खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 खान एवं खनिज एवं विनियम 1957 गंगा रिवर ऐक्ट एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

विभूति कुमार

(जिला खनन पदाधिकारी)

साहेबगंज

**जिला खनिज कार्यालय साहेबगंज**

पत्रांक 1168 / एम. दिनांक 15/10/2020

सेवा में

थाना प्रभारी  
मुफसील थाना,  
साहेबगंज।

विषय :-

अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारण करते हुए नाव से परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई का संवर्ध में।

महोदय,

प्रतिवेदित करना है की दिनांक 14.10.2020 को रात्रि 10:30 से साहेबगंज मुफसील थाना क्षेत्र में खनिज के दौरान समदाघाट में अवैध उत्खनन एवं परिवहन को अधिक छापाकारी अधीनस्थानीय थाना प्रभारी मुफसील थाना के सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई। जांच के दौरान गंगा नदी किनारे समदाघाट के पास नाव में उत्खनन एवं पत्थर का भंडारण करते हुए परिवहन किया जा रहा था। नाव चालको ने हमलोगों को देखते ही नाव सहित भाग ले लिया। नदी किनारे कुछ छिटफूट पत्थर पाये गये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गंगा किनारे पत्थर का किसी प्रकार का व्यापार करना अवैध है। स्वामीय जगहों से पृच्छाछ करने तीन सम्भावित व्यक्तियों का नाम निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	संभावित व्यक्ति का नाम एवं पता	अव्यक्ति
1	हरेश्वर यादव पिता- नामालुम पु- समदा जिला- साहेबगंज।	
2	राज किशोर यादव पु- (मजी यादव) पिता- नामालुम समदा जिला- साहेबगंज।	
3	आनंदी यादव यादव पिता- नामालुम समदा जिला- साहेबगंज।	

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति को क्षति हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञापि धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विलियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1'ए का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21'ए एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समुदायन नियमावली 2004 के नियम 84 एवं 85 एवं Jharkhand mineral (Prevention of Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अंतर्गत अवैध उत्खनन कार्य हेतु कार्रवाई की जाय। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 414, 415, 434 एवं 176 के अंतर्गत कार्रवाई किया जाय। गंगा नदी में नाव लगाकर अवैध रूप से खनिज लोड कर परिवहन करने के कारण गंगा प्रदूषित हो रहा है। इसके अंतर्गत भी गंगा रिवर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्य में संश्लेषण करित पत्थर खनिज जमा कर विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समुदायन नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विलियम 1957 के अंतर्गत कार्रवाई करने की सूचना देकर गंगा रिवर ऐक्ट एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करवा कर कार्रवाई करने की सूचना देकर

विश्वनाथ झा

जिला प्रभारी

मुफसील थाना

साहेबगंज

दिनांक 15/10/2020

T.C.  
Karnal

**जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज**

पत्रांक 1168 / एम0 दिनांक 15/10/2020

सेवा में  
थाना प्रभारी,  
मुफ्फसिल थाना, साहेबगंज।

विषय :- अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारण करते हुए नाव से परिवहन कर्त्ताओं के विरुद्ध कानूनी करने के संबंध में।

महाशय,

प्रतिवेदित करना है कि दिनांक- 14.10.2020 को रात्रि 10:30 से साहेबगंज मुफ्फसिल थाना अन्तर्गत क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान समदाघाट में अवैध उत्खनन एवं परिवहन की औचक छापामारी अधोहस्तक्षरी थाना प्रभारी मुफ्फसिल थाना एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई। जांच के दौरान गंगा नदी किनारे समदाघाट के पास नाव में उल्लेखित रूप पत्थर का भण्डारण करते हुए परिवहन किया जा रहा था। नाव चालकों ने हमलोगों को देखते ही नाव सहित भाग खड़े हुए। नदी किनारे कुछ छिटफुट पत्थर पाये गये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गंगा किनारे पत्थर का किसी प्रकार का व्यापार करना अवैध है। स्थानीय लोगों से पूछताछ करने तीन सम्मिलित व्यक्तियों का नाम निम्न प्रकार है :-

क्र०	संलिप्त व्यक्ति का नाम एवं पता	अभ्युक्ति
1	हरेराम यादव, पिता- नामलुम, मु० समदा, जिला- साहेबगंज।	
2	राज किशोर यादव उर्फ (मंझी यादव) पिता- नामलुम समदा, जिला- साहेबगंज	
3	आनन्दी यादव, पिता- नामलुम, समदा, जिला- साहेबगंज	

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रही है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 4(1) एवं 1 ए का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21ए एवं 21(6) के अन्तर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand mineral (Prevention of illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाय। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411, 413, 414, एवं 175 के अन्तर्गत कार्रवाई किया जाय। गंगा नदी में नाव लगाकर अवैध रूप से खनिज लोड कर परिवहन करने के कारण गंगा प्रदूषित हो रहा है। इसके अन्तर्गत भी गंगा रिवर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन भंडारण परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति पत्थर खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 खान एवं खनिज एवं विनियम 1957 गंगा रिवर ऐक्ट एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

जब्ती सूची संलग्न - 01

विश्वासभाजन,  
ह०/-  
विभूति कुमार  
(जिला खनन पदाधिकारी)  
साहेबगंज।

जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज  
पत्रांक 1126 / एम०, दिनांक 6/10/2020

सेवा में,

थाना प्रभारी,  
जिरवाबाड़ी थाना,  
साहेबगंज।

विषय :- अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारण करते हुए नाव से परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी करने के संबंध में।

महाशय,

प्रतिवेदित करना है की आज दिनांक 06/10/20 को प्रातः 6:00 से जिरवाबाड़ी थाना अंतर्गत गदनशाही घाट, घानन घाट, समदा घाट इत्यादि क्षेत्रों में क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए अवैध उत्खनन एवं परिवहन की औद्योगिक छापामारी थाना प्रभारी जिरवाबाड़ी एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई। जांच के दौरान गंगा नदी किनारे सांतीचौकी के पास नाव में उत्खनित अवैध पत्थर का भंडारण करते हुए परिवहन किया जा रहा था। नाव चालको ने हमलोगो को देखते ही भाग खड़े हुए। जिसमें 01 नाव चालक रामप्रकाश मांझी, पिता- स्व० हलक साह, साकिन अकपुर, थाना- चड़िया, बरियारपुर, जिला- बेगुसराय को पकड़ा गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गंगा किनारे पत्थर का किसी प्रकार का व्यापार करना अवैध है। उक्त स्थल पर खनिज से लदे नाव पाया गया। जिसमें सम्मिलित व्यक्ति निम्न प्रकार है :-

क्र०	संलिप्त व्यक्ति का नाम एवं पता	पत्थर चिप्स खनिज की मात्रा	अभ्युक्ति
1	रामप्रकाश मांझी, पिता- स्व० हलक साह, साकिन अकपुर, थाना- चड़िया, बरियारपुर, जिला- बेगुसराय	1200 घनफीट	बिना चालान के
2	सिधो मांझी, पिता- नामालुम	सभी साकिन करहरटोला, थाना- कटिहार, जिला- कटिहार (बिहार)	
3	सागर मांझी, पिता- नामालुम		
4	अजय मांझी, पिता- नामालुम		
5	रामू मांझी, पिता- नामालुम		
6	रामवतार मांझी, पिता- नामालुम		
7	गोपाल यादव, पिता- रामरुद्र यादव, सा०- समदानाला, जिला- साहेबगंज		
8	दोटी यादव, पिता- नामालुम		
9	मंझी यादव, पिता- नामालुम		

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1'ए' का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21'ए' एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand mineral (Prevention of Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अंतर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाय। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411, 413, 414 एवं 175 के अंतर्गत कार्रवाई किया जाय। गंगा नदी में नाव लगाकर अवैध रूप से खनिज लोड कर परिवहन करने के कारण गंगा प्रदूषित हो रहा है। इसके अन्तर्गत भी गंगा रिवर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन भंडारण परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति, पत्थर खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957, गंगा रिवर ऐक्ट एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

ज० सी० सु० श्री १०२१-१.

विश्वासभाजन

(विभूति कुमार)

जिला खनन पदाधिकारी  
साहेबगंज।

T. C.  
Karnal

## जिला खनन कक्ष, साहेबगंज

पत्रांक 515 एम0, दिनांक 5/6/21

समा में

थाना प्रभारी,  
जिरवावाडी (ओपी0)  
साहेबगंज।

विषय : अवैध पत्थर उत्खनन एवं परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय

प्रतिवेदित करना है कि आज दिनांक 05.06.2021 को 340 बजे अपराहन जिला टास्क फोर्स खनन के सदस्य अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज, जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज, थाना प्रभारी, जिरवावाडी एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ जिरवावाडी थाना अन्तर्गत कबूतर खोपी घाट, चानन घाट, रामदा घाट, मदनशाही घाट आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में चानन घाट पर लगभग 5500 घनफीट पत्थर बोल्टर पाया गया। किन्हीं के द्वारा भंडारित पत्थर का कोई कागजात नहीं दिखाया गया एवं कार्यरत मजूदर हमलागो देखा ही जाग खंड हुए। निरीक्षण पर समझा गया कि अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारित करते हुए व्यापार किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र पर किन्हीं को कोई भंडारण अनुज्ञप्ति नहीं है। स्थानीय लोगों से पूछताछ के क्रम में निम्न व्यक्तियों का नाम एवं पता बताया गया जो निम्न प्रकार से है :- 1 कालाचन्द्र मंडल, पिता- राधे मंडल, मु0- खुटहरी, 2 राजय साह, पिता- हथिया साह, मु0- चानन, 3 निरजन दास, पिता- सकुल दास, मु0- चानन, 4 गब्बर अंसारी, पिता- भोकिम अंसारी, मु0- बड़ा मदनशाही, 5 विरजू अंसारी, पिता- रहीस अंसारी, मु0- मदनशाही, 6 बजीर अंसारी, पिता- तोफीर अंसारी, मु0- बड़ा मदनशाही, 7 मकसूद गिया, पिता- रब0 मगरी मिया, मु0- छोटा पांगडो, 8 सुल्तान अंसारी, उर्फ बिज्जू, पिता- तरारुल अंसारी, मु0- बड़ा मदनशाही, 9 रहीस अंसारी, पिता- रब0 अब्दुल हसन, मु0- बड़ा मदनशाही, 10 अजामुद्दीन अंसारी, पिता- रब0 नईम अंसारी, मु0- बड़ा मदनशाही सभी थाना- जिरवावाडी जिला- साहेबगंज द्वारा उपरोक्त गंगा घाटों से अवैध पत्थर का परिवहन कर व्यापार किया जा रहा है।

इस क्रम कार्रवाई से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय संपत्ति का क्षरण भी हो रहा है। अल्पेखनीय है कि कोई व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं एम0 कानून खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1"ए" का स्पष्ट उल्लंघन है उक्त अधिनियम के तहत धारा 21"ए" एवं 21(6) के अन्तर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाय। झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने की कार्रवाई की जाय तथा भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भी कार्रवाई किया जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन/भंडारण/परिवहन कार्यों में संलिप्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं भा0द0स0 के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

*Adil*  
05/6/21

T.E.  
Kamal

विश्वासभाजन

*Arjun*  
5/6/2021  
(विभूति कुमार)  
जिला खनन पदाधिकारी  
साहेबगंज।

Typed copy of page 571

404

**जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज**

पत्रांक 515 / एम0 दिनांक 05/06/2021

सेवा में

थाना प्रभारी,  
जिरवाबाड़ी (ओ0 पी0),  
साहेबगंज।

विषय :- अवैध पत्थर उत्खनन एवं परिवहन कर्त्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

प्रतिवेदित करना है कि आज दिनांक 05.06.2021 को 3:40 बजे अपराह्न जिला टास्क फोर्स खनन के सदस्य अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज, जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज, थाना प्रभारी, जिरवाबाड़ी एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ जिरवाबाड़ी थाना अन्तर्गत कबूतर खोपी घाट, चानन घाट, समदा घाट, मदनशाही घाट आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में चानन घाट पर लगभग 5500 घनफीट पत्थर बोल्टर पाया गया। किन्हीं के द्वारा भंडारित पत्थर का कोई कागजात नहीं दिखाया गया एवं कार्यरत मजदूर हमलोगों देखते ही भाग खड़े हुए। जिससे यह समझा गया कि अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारित करते हुए व्यापार किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र पर किन्हीं को कोई भंडारण अनुज्ञप्ति नहीं है। स्थानीय लोगों से पूछताछ के क्रम में निम्न व्यक्तियों का नाम एवं पता बताया गया जो निम्न प्रकार से है :- 1. कालाचन्द्र मंडल, पिता- राधे मंडल, मु0 खुटहरी, 2. संजय साह, पिता- हथिया साह, मु0 चानन, 3. निरंजन दास, पिता- सकुल दास, मु0 चानन, 4. बब्बर अंसारी, पिता- मोकिम अंसारी, मु0 बड़ा मदनशाही, 5. बिरजू अंसारी, पिता- रहीस अंसारी, मु0 मदनशाही, 6. बजीर अंसारी, पिता- तोफीर अंसारी, मु0 बड़ा मदनशाही, 7. मकसूद मिया, पिता- स्व0 नगरी मिया, मु0 छोटा पांगडो, 8. सुल्तान अंसारी, उर्फ बिज्जु, पिता- तसरूल अंसारी, मु0 बड़ा मदनशाही, 9. रहीस अंसारी, पिता- स्व0 अब्दुल हसन, मु0 बड़ा मदनशाही 10. अजामुद्दीन अंसारी, पिता- स्व0 नईम अंसारी, मु0 बड़ा मदनशाही सभी थाना- जिरवाबाड़ी, जिला-साहेबगंज द्वारा उरोक्त गंगा घाटों से अवैध पत्थर का परिवहन कर व्यापार कर किया जा रहा है।

इस कृत कार्रवाई से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04, एवं 54 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने की कार्रवाई की जाय तथा भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भी कार्रवाई किया जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन/भंडारण/परिवहन कार्यों में सलिप्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं भा0द0स0 के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

विभूति कुमार

(जिला खनन पदाधिकारी)

साहेबगंज

जिला खनन कार्यालय - साहेबगंज

पत्रांक - 01/कैम्प/एम0 मुफ्फसिल

दिनांक - 30/11/2020

सेवा में

श्रीमान थाना प्रभारी  
मुफ्फसिल थाना साहेबगंज,

विषय - अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारण करते हुए नाव द्वारा परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

प्रतिवेदित करना करना है कि आज दिनांक 30/11/2020 को 02.00 बजे से साहेबगंज मुफ्फसील थाना अन्तर्गत गुप्त सूचना के आधार पर क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए अवैध उत्खनन एवं नाव से परिवहन की औचक छापाकारी अधोहस्ताक्षरी थाना प्रभारी, मुफ्फसील थाना एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ मौजा शुक्र घाट (सकरीगली) का किया गया। जाँच के क्रम में अवैध पत्थर उत्खनन एवं प्रेषण कार्य में लगे हुए 02 नाव अवैध भण्डारण स्थल पर पत्थर लोड करते हुए पकड़ा गया। जिससे यह समझा गया कि अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन कर नाव द्वारा प्रेषण किया जा रहा था। नाव के चालक हमलोगों को देखते हुए भाग खड़े हुए।

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञापि धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1 "ए" का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21(A) / 21(6) के अन्तर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अन्तर्गत कार्रवाई किया जाये। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand mineral (prevention of illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाये। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 एवं 175 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाये।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति नाव चालक, मालिक एवं पत्थर खनिज के क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं गंगा रिवर एक्ट एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाये।

जल्दी सूची खान-1.

पत्र प्राप्त किया  
नाम  
30/11/20

T. C.  
Kumar

विश्वासभाजन

Shivar  
30/11/2020  
(विभूती कुमार)

जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।

## जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक 1206 / एम०. दिनांक 31/11/2020

सेवा में,

थाना प्रभारी,  
मुफसील थाना,  
साहेबगंज।

विषय :- अवैध पत्थर उत्खनन कर परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

प्रतिवेदित करना है की दिनांक 02.11.2020 को रात्रि 9:10 बजे मुफसील थाना अंतर्गत समादाघाट इत्यादि क्षेत्रों का क्षेत्रीय भ्रमण करत हुए अवैध उत्खनन एवं परिवहन की औचक छापामारी अधोहस्ताक्षरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई। समादाघाट में अवैध पत्थर से लदे ट्रकों की जांच की गयी, जांच के क्रम में चालक हमलोगा को देखते ही भाग खड़े हुए। जिससे यह समझा गया कि कि उनके द्वारा अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन कर प्रेषण किया जा रहा है। इस कार्य में संलिप्त गाड़ी निम्न प्रकार है :-

क्र०	ट्रक संख्या / संलिप्त व्यक्ति का नाम	पत्थर खनिज की मात्रा	अभ्युक्ति
1	BR11E-9086	पत्थर 1000 घनफीट लगभग	
2	OR14R-5032	पत्थर 1000 घनफीट लगभग	
3	BR11G-4373	पत्थर 1000 घनफीट लगभग	
4	BR11G-9086	पत्थर 1000 घनफीट लगभग	

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लंघनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1"ए" का स्पष्ट उलघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21"ए" एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand mineral (Prevention of Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाय। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411 एवं 175 के अन्तर्गत कार्रवाई किया जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्यों में संलिप्त गाड़ी, गाड़ी चालक, गाड़ी मालिक, पत्थर खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक - जप्ती सूची।

T. E.  
Kannal

विश्वासभाजन

*(विभूति कुमार)*  
जिला खनन पदाधिकारी  
साहेबगंज।

**जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज**

पत्रांक 1238 / एम०, दिनांक 12/11/2020

सया में,

थाना प्रभारी,  
मुफसिल थाना,  
साहेबगंज।

**विषय :- अवैध पत्थर उत्खनन कर परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में।**

नहाशय,

प्रतियेदित करना है की दिनांक 12.11.2020 को सुबह 05:00 बजे से मुफसिल थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए अवैध उत्खनन एवं परिवहन की औद्यक छापामारी अधोहस्ताक्षरी थाना प्रभारी, मुफसिल एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ मौजा शुक्रघाट, (सकरीगली) का किया गया। जांच के क्रम में अवैध पत्थर उत्खनन एवं प्रेषण कार्य में लगे हुए 01 नाव, JCB 01 अवैध खनन स्थल पर पत्थर लोड करते हुए पकड़ा गया। जिससे यह समझा गया कि कि उनके द्वारा अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन कर प्रेषण किया जा रहा था। मौजा शुक्रघाट में निम्न व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है एवं इस कार्य में निम्न नाव/गाड़ी का उपयोग किया जा रहा है जो निम्न प्रकार है :-

क्र०	वाहन संख्या	संलिप्त व्यक्ति का नाम	अभ्युक्ति
1	नाव (नम्बर अंकित नहीं है)		1000 घनफीट पत्थर लोड
2	JCB, Machine No-1877599 Engine SI No-H82296129 Chassis No- HAR30XSSC01877599	देवेन्द्र यादव, पिता- अज्ञात बच्चू यादव, पिता- अज्ञात अनीस यादव, पिता- अज्ञात सुनील यादव, पिता- अज्ञात मनीष यादव, पिता- अज्ञात मिदुन यादव, पिता- अज्ञात मो०+पोस्ट-सकरीगली थाना- मुफसिल जिला-साहेबगंज।	

इस कृत से सरकारी राजस्व की घोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पदटा या अनुज्ञापित धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1"ए" का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21"ए" एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand mineral (Prevention of Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत

T-C. K. K. K.

= 2 :

अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाय। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 378 अन्तर्गत कार्रवाई किया जाये।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति, गाव/घालक, गाव/गाड़ी मालिक, पत्थर खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु समुदाय नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- जप्ती सूची।

Sondrop ad Gram  
12/12/20  
P.S.  
A.P.S.

विश्वासभाजन

12/12/20  
(विभूति कुमार)  
जिला खनन पदाधिकारी  
साहेबगंज।

7.01  
Kamal

*Typled copy of page 575*

397

अवैध उत्खन्न करने हेतु कारवाई की जाय। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 एवं अन्तर्गत कारवाई किया जाये।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खन्न, भंडारण, परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति, नाव/नाव चालक, नाव/गाडी मालिक, पत्थर खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- जप्ती सूची।

विश्वासभाजन,  
ह0/-  
विभूति कुमार  
(जिला खनन पदाधिकारी)  
सहेबगंज

## जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक 1169 / एम. दिनांक 15/10/2020

576

ध. प्र. में

धाना प्रभारी,  
मुफसील धाना,  
साहेबगंज।  
अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारण करते हुए परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी करने के संबंध में।

विषय -

महत्त्व

प्रतिवेदित करना है की आज दिनांक 15.10.2020 को प्रातः 7:30 बजे से साहेबगंज मुफसील धाना अंतर्गत क्षेत्रीय प्रमण के दौरान गरमघाट में अवैध उत्खनन एवं परिवहन की आचक छापाकारी अधीक्षक धाना प्रभारी मुफसील धाना एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई। जाय के दौरान गरमघाट नदी किनारे अवैध उत्खनित पत्थर का भंडारण करते हुए परिवहन किया जा रहा था। नदी किनारे कुछ छिटफुट पत्थर पाये गये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गंगा किनारे पत्थर का किसी प्रकार का व्यापार करना अवैध है। जाँच के समय विप्ल से लगे 2 ट्रैक्टर सम्मिलित व्यक्तियों का नाम निम्न प्रकार है -

क्र०	ट्रैक्टर संख्या/चेबीस /इजन न०	संलिप्त व्यक्ति का नाम	पत्थर खनिज की मात्रा	अभ्युक्ति
1	Tractor No A/F Engine no-331998 /SLP2469A Chasis No-124405020516	शैलेश कुमार पिता- लालु यादव 90+90- बकरसमपुर, जिला- भागलपुर	पत्थर 150 घनफीट लगभग	विना चालान क
2	Tractor No A/F Engine no-133333 /SLP2469A Chasis No-10000099411	दीपक यादव पिता- शिवमूर्ति यादव सा- महादेवगंज धाना- मुफसील जिला- साहेबगंज।	पत्थर 150 घनफीट लगभग	विना चालान क

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति विना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1'ए' का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21'ए' एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand mineral (Prevention of Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाय। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411, 413, 414 एवं 175 के अन्तर्गत कार्रवाई किया जाय। गंगा नदी में ट्रैक्टर से अवैध रूप से खनिज लोड का परिवहन करने के कारण गंगा प्रदूषित हो रहा है। इसके अन्तर्गत भी गंगा रिवर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्य में संलिप्त गाडी, चालक, मालिक, पत्थर खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957, गंगा रिवर ऐक्ट एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

-t.c  
Kamal

विश्वासभाजन  
Kamal  
(किभूति कुमार)  
जिला खनन पदाधिकारी  
साहेबगंज।

... 1957 का अधिनियम (1) का अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ...  
 ... 21(6) के अंतर्गत ...  
 ... Prevention of Illegal Mining (P.I.M.) Act, 1957 ...  
 ... 1957 का अधिनियम (1) का अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ...

1	...
2	...
3	...

... 10.30 ...  
 ... 10.30 ...

...  
 ...  
 ...

1128 / 15/10/2020  
 ...

## जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक 1168 / एम० दिनांक 15/10/2020

विषय में

थाना प्रभारी,  
मुफसील थाना,  
साहेबगंज।

विषय -

अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारण करते हुए नाव से परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का  
संबंध में।

महाराज,

प्रतिवेदित करना है की दिनांक 14.10.2020 को रात्रि 10:30 से साहेबगंज मुफसील थाना बंगाल ब्रिज  
धमन के दौरान समदाघाट में अवैध उत्खनन एवं परिवहन की ओघक छापाकारी अधीनस्थानीय थाना प्रभारी मुफसील  
एवं सारारत पुलिस बल के साथ की गई। जांच के दौरान गंगा नदी किनारे समदाघाट के पास नाव में उल्लेखित अवैध  
पत्थर का भंडारण करते हुए परिवहन किया जा रहा था। नाव चालको ने हमलागी को देखते ही नाव सहित भाग चुका  
हुए। नदी किनारे कुछ छिटाकृत पत्थर पाये गये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गंगा किनारे पत्थर का किसी प्रकार का  
व्यापार करना अवैध है। उक्तानुसार लगाये से पूछताछ करने तीन सम्मिलित व्यक्तियों का नाम निम्न प्रकार है -

क्र०	संलिप्त व्यक्ति का नाम एवं पता	अव्यक्ति
1	हरराम यादव, पिता- नामालुम मु०- समदा, जिला- साहेबगंज।	
2	राज किशोर यादव उर्फ (गंडी यादव) पिता- नामालुम समदा, जिला- साहेबगंज।	
3	आनंदी यादव यादव पिता- नामालुम समदा, जिला- साहेबगंज।	

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है।  
उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञापित धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं  
कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 17ए का स्पष्ट  
उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21ए एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के  
अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं  
Jharkhand mineral (Prevention of Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं  
9 के अंतर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाय। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411, 413,  
414 एवं 175 के अंतर्गत कार्रवाई किया जाय। गंगा नदी में नाव लगाकर अवैध रूप से खनिज लौह का  
परिवहन करने के कारण गंगा प्रदूषित हो रहा है। इसके अंतर्गत भी गंगा रिवर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति, दण्ड खनिज कृत एवं  
विकास के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957,  
गंगा रिवर ऐक्ट एवं सुरागत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए वास्तुकी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

शिरधामभाजन

(सिगनेचर)  
15/10/2020  
जिला खनन अधिकारी  
साहेबगंज।

जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज  
पत्रांक 1126 / एम०, दिनांक 6/10/2020

सेवा में

थाना प्रभारी,  
जिरवाबाड़ी थाना,  
साहेबगंज।

विषय :-

अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारण करते हुए नाव से परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी करने के संबंध में।

महाशय,

प्रतिवेदित करना है की आज दिनांक 06.10.20 को प्रातः 6:00 से जिरवाबाड़ी थाना अंतर्गत पदनशाही घाट, चानन घाट, समदा घाट इत्यादि क्षेत्रों में क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए अवैध उत्खनन एवं परिवहन की औचक छापाकारी थाना प्रभारी जिरवाबाड़ी एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई। जांच के दौरान गंगा नदी किनारे सोतीचीकी के पास नाव में उत्खनित अवैध पत्थर का भंडारण करते हुए परिवहन किया जा रहा था। नाव चालको ने हमलोगो को देखते ही भाग खड़े हुए। जिसमें 01 नाव चालक रामप्रकाश मांझी, पिता- स्व० हलक साह, साकिन अकपुर, थाना- घडिया, बरियारपुर, जिला- बेगुसराय को पकड़ा गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गंगा किनारे पत्थर का किसी प्रकार का व्यापार करना अवैध है। उक्त स्थल पर खनिज से लदे नाव पाया गया। जिसमें सम्मिलित व्यक्ति निम्न प्रकार है -

क्र०	संलिप्त व्यक्ति का नाम एवं पता	पत्थर चिप्स खनिज की मात्रा	अभ्युक्ति
1	रामप्रकाश मांझी, पिता- स्व० हलक साह, साकिन अकपुर, थाना- घडिया, बरियारपुर, जिला- बेगुसराय	1200 घनफीट	बिना चालान के
2	सिधो मांझी, पिता- नामालुम	सभी साकिन करहरटोला, थाना- कटिहार, जिला- कटिहार (बिहार)	
3	सागर मांझी, पिता- नामालुम		
4	अजय मांझी, पिता- नामालुम		
5	रामू मांझी, पिता- नामालुम		
6	रामवतार मांझी, पिता- नामालुम		
7	गोपाल यादव, पिता- रामवृक्ष यादव, सा०- समदानाला, जिला- साहेबगंज		
8	दोडी यादव, पिता- नामालुम		
9	मंझी यादव, पिता- नामालुम		

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञापित धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1'ए' का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21'ए' एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज सममुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand mineral (Prevention of Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अंतर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाय। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411, 413, 414 एवं 175 के अंतर्गत कार्रवाई किया जाय। गंगा नदी में नाव लगाकर अवैध रूप से खनिज लोड कर परिवहन करने के कारण गंगा प्रदूषित हो रहा है। इसके अन्तर्गत भी गंगा रिवर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति, पत्थर खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज सममुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957, गंगा रिवर ऐक्ट एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

जबनी सुनी एम० १-1.

विश्वासभाजन

(विभूति कुमार)

जिला खनन पदाधिकारी  
साहेबगंज।

Kamat

## जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक... 15... एम0, दिनांक... 5/6/21

सेवा में,

थाना प्रभारी,  
जिरवावाड़ी (ओपी0)  
साहेबगंज।

विषय : अवैध पत्थर उत्खनन एवं परिवहन कर्त्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महोदय,

प्राथमिकी दर्ज करवा है कि आज दिनांक 05/06/2021 को 340 बजे अपराहन जिला टास्क फोर्स खनन के सहाय्य अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज, जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज, थाना प्रभारी, जिरवावाड़ी एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ जिरवावाड़ी थाना अन्तर्गत कबूतर खोपी घाट, चानन घाट, रामदा घाट, गदनशाही घाट आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में चानन घाट पर लगभग 5500 घनफीट पत्थर बोल्डर पाया गया। किन्हीं के द्वारा भंडारित पत्थर का कोई कागजात नहीं दिखाया गया एवं कार्यरत मजदूर हगलोग देखते ही भाग खड़े हुए। जिससे यह समझा गया कि अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारित करते हुए व्यापार किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र पर किन्हीं को कोई भंडारण अनुज्ञप्ति नहीं है। स्थानीय लोगों से पूछताछ के क्रम में निम्न व्यक्तियों का नाम एवं पता बताया गया जो निम्न प्रकार से है :- 1 कालाचन्द्र मंडल, पिता- राधे मंडल, मु0- खुटहरी, 2 सजय साह, पिता- हथिया साह, मु0- चानन, 3 निरंजन दास, पिता- सकुल दास, मु0- चानन, 4 गब्बर अंसारी, पिता- मोकिम अंसारी, मु0- बड़ा गदनशाही, 5 विरजू अंसारी, पिता- रहीस अंसारी, मु0- गदनशाही, 6 बजीर अंसारी, पिता- लोहेर अंसारी, मु0- बड़ा गदनशाही, 7 गजसूर भैया, पिता- रव0 मंगरी मिया, मु0- छोटा पागडो, 8 सुल्तान अंसारी, उर्फ विरजू, पिता- लसकुल अंसारी, मु0- बड़ा गदनशाही, 9 रहीरा अंसारी, पिता- रव0 अब्दुल हरान, मु0- बड़ा गदनशाही, 10 अजामुद्दीन अंसारी, पिता- रव0 नईम अंसारी, मु0- बड़ा गदनशाही सभी थाना- जिरवावाड़ी जिला- साहेबगंज द्वारा उपरोक्त गंगा घाटों से अवैध पत्थर का परिवहन कर व्यापार किया जा रहा है।

इस कृत कार्रवाई से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1"ए" का स्पष्ट उल्लंघन है उक्त अधिनियम के तहत धारा 21"ए" एवं 21(6) के अन्तर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाय। झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने की कार्रवाई की जाय तथा भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भी कार्रवाई किया जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन/भंडारण/परिवहन कार्यों में संलिप्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं भा0द0स0 के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

*AK*  
05/6/21

T. S.  
Kannal

विश्वासभाजन

*Sharma*  
5/6/2021  
(विभूति कुमार)  
जिला खनन पदाधिकारी  
साहेबगंज।